

**सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
के अंतर्गत हस्त-पुस्तिका**

**Handbook Under
Right to Information Act – 2005**



**शासकीय विज्ञान महाविद्यालय (स्वशासी)
जबलपुर – मध्यप्रदेश**

**Government Science College (Autonomous)
Jabalpur - MP**

।
॥
॥॥
॥॥॥
मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित और कार्यरत

**Established & Functioning under the
Department of Higher Education
Government of Madhya Pradesh**

Phone: 0761-2678737 | FAX: 0761-2621272 | Email: hegscjab@mp.gov.in
Website: <http://www.mphighereducation.nic.in/3301>
<http://www.sciencecollegejabalpur.org>

Updated on:
21 January 2020

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1	प्रस्तावना Introduction	3
2	संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य Particulars of organization, functions and duties	7
3	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य Powers and duties of officers and employees	12
4	कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख Rules, regulations, instructions, manual and records, for discharging functions	20
5	नीति निर्धारण व कार्यचयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण Particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof	24
6	लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण A statement of the categories of documents that are held by it or under its control	27
7	बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण A statement of boards, council, committees and other bodies constituted as its part	29
8	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां The names, designations and other particulars of the Public Information Officers	36
9	निर्णय लेने की प्रक्रिया Procedure followed in Decision Making Process	38
10	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका Directory of officers and employee	43
11	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति The monthly remuneration received by each of its officers and employees including the system of compensation as provided in regulations	48
12	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना) The budget allocated to each agency (particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursement made)	53
13	अनुदान/राज्य सहायता कायक्रमों के क्रियान्वयन की रीति The manner of execution of subsidy programmes	55
14	रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it	57
15	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम Norms set by it for the discharge of its functions	59
16	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं Information available in an electronic form	61
17	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण Facility available to citizen for obtaining information	63
18	अन्य उपयोगी जानकारियां Other useful information	66

अध्याय – 1 प्रस्तावना

Chapter – 1 Introduction

प्रस्तावना

- 1.1. कृपया हस्तपुस्तिका की पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डालें (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)
1.1. Please throw light on the background of this hand-book (RTI – 2005)

सूचना की पारदर्शिता के मूल में कर्तव्य के साथ भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया, जिसे दिनांक 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस स्वीकृति के 120वें दिन अर्थात् 12 अक्टूबर 2005 से यह अधिनियम पूर्णतः प्रभावशील हो गया है। इस अधिनियम की धारा 4 (1) के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वह अपने समस्त अभिलेख सम्यक रूप से तालिकाबद्ध प्रारूप में बनाए रखें, जिससे कि सूचना के अधिकार को सुविधाजन्य बनाया जा सके। इस अधिनियम में आम नागरिक को सूचना का अधिकार त्वरित एवं सुविधाजनक स्वरूप में उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत प्रावधान किये गये हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन तंत्र को आम जनता के प्रति पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना है। अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों से यह भी अपेक्षा है कि ऐसे समस्त अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के उपयुक्त हैं, यथासंभव उपलब्ध समय-सीमा एवं संसाधनों के तहत कम्प्यूटरीकृत एवं नेटवर्क से जुड़े हुये संधारित किये जायें तथा ऐसे अभिलेखों तक पहुंच सुविधायुक्त बनाई जा सकें।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) के प्रावधानों की पूर्ति के लिये प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर द्वारा इस सूचना पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तिका के प्रकाशन में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विशेष ध्यान रखते हुए, इस प्रयोजन से निर्धारित स्वरूप में इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तिका के तैयार करने में मूल अवधारणा यह रही है कि भारत का कोई भी नागरिक जो शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर की गतिविधियों की जानकारी की अपेक्षा रखता हो, उसे समस्त मूल सूचनाएं प्राप्त करने में यह सूचना पुस्तिका एक प्रभावी माध्यम बन सके, तथा विशेष जानकारी की आवश्यकता महसूस होने पर कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिये सुगमता से संबंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत कर सकें।

इस सूचना पुस्तिका के समस्त अध्याय सामान्यतः सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की दृष्टि से सूचना पुस्तिका तैयार करने के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वरूप के अनुसार ही रखे गये हैं। कार्यालय के क्रियाकलापों एवं विशिष्टताओं के अनुरूप विषयों के क्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किये गये हैं, ताकि यह पुस्तिका संदर्भ की दृष्टि से सुगम साबित हो सके।

अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि सूचना पुस्तिका के संबंध में और विवरण प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। इस पुस्तिका में सम्मिलित जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य सूचना की आवश्यकता होने पर कार्यालय के स्तर पर नामांकित लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। इस प्रकार की अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 के अनुसार होगी।

विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12/10/2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में इस पुस्तिका में प्राचार्य, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर (आगामी संदर्भ में कार्यालय/महाविद्यालय के रूप में प्रयुक्त) के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को ध्यान में रखते हुये महत्वपूर्ण जानकारियाँ संकलित की गई हैं। यह जानकारी कार्यालय के संदर्भ में पर्याप्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपयोगी होगी।

1.2. हस्तपुस्तिका का उद्देश्य

1.2. Objective / purpose of this hand-book

इस पुस्तिका का उद्देश्य महाविद्यालय का परिचय देना है और जन सामान्य की दृष्टि से यदि कोई उपयोगी जानकारी चाही जाती है तो उसे परिचायात्मक रूप से इसमें दर्शायी गयी है, अर्थात् किसी विषय विशेष का

शीर्षक देख कर उसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन दिये जा सके इसे ध्यान में रखते हुये यह पुस्तिका बनायी गयी है।

- 1 महाविद्यालय/कार्यालय का संक्षिप्त परिचय देना
- 2 जन-सामान्य की दृष्टि से महाविद्यालय/कार्यालय संबंधी उपयोगी जानकारी का संकलन करना ताकि जन-सामान्य सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके।

1.3 यह पुस्तिका किन व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों इत्यादि के लिये उपयोगी है ?

1.3. Who are the intended users of this hand-book?

यह पुस्तिका प्रमुख रूप से छात्रों के अभिभावकों, छात्र कल्याण, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारी एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संगठनों के लिये उपयोगी है।

यह हस्त पुस्तिका निम्नलिखित व्यक्तियों/समूहों के लिए उपयोगी है—

- (1) छात्र/छात्राएं
- (2) अभिभावक
- (3) उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी
- (4) समाज के सामान्य नागरिक
- (5) शासकीय/अशासकीय संगठन
- (6) विश्वविद्यालय
- (7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- (8) जनभागीदारी समिति के सदस्य
- (9) अन्य सभी जो शिक्षा के प्रचार-प्रसार से संबद्ध हैं।

1.4 हस्त पुस्तिका का प्रारूप।

1.4. Organisation of the information in this hand-book

हस्तपुस्तिका में 18 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में उसके शीर्षक पर आधारित समग्र जानकारियों का बिन्दुवार संकलन है।

1.5. परिभाषाएं (कृपया हस्तपुस्तिका में प्रयोग की गयी शब्दावली को परिभाषित करें)।

1.5. Definitions (Please provide definitions of various terms used in the hand-book).

पुस्तिका में ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है जिनकी परिभाषा दी जाना वांछित हो।

1.6 हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए सम्पर्क व्यक्ति।

1.6. Contact person in case some body wants to get more information on topics covered in the handbook as well as other information also.

शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर: 1. लोक सूचना अधिकारी : प्राचार्य दूरभाष **0761 2678737**

2. सहायक लोक सूचना अधिकारी: दूरभाष **0761 2678737**

1.7 हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क

1.7. Procedure and Fee Structure for getting information not available in the Handbook.

राज्य शासन द्वारा समय —समय पर निर्धारित शुल्क देय होगी जिसकी प्रक्रिया वहीं रहेगी जो उपलब्ध जानकारी के लिये निर्धारित है। हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना, मध्यप्रदेश सूचना का अधिकारी-फीस तथा अपील नियम 2005 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। ये नियम सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट : www.gad.mp.gov.in/rtiguidelines.htm

निम्नलिखित जानकारियां 'प्रतिबंधित' श्रेणी में आयेंगी और दी जाना संभव नहीं होगा। इस श्रेणी की जानकारी निम्नानुसार है :

1. गोपनीय प्रक्रियाएं।
2. गोपनीय चरित्रावली।
3. जांच से संबंधित अभिलेख।
4. ऐसे अभिलेख जिनके न्यायालयीन प्रकरण चल रहे हैं।

निम्न अभिलेख केवल अवलोकनार्थ रहेंगे :

1. केश बुक लेजर / वाउचर्स।
2. किसी अन्य की सेवा पुस्तिका।

अध्याय – 2 (मैन्युअल-1)
संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

Chapter – 2 (Manual – 1)
Particulars of Organization,
Functions and Duties

2.1. लोक प्राधिकरण के उद्देश्य

2.1. Objective/purpose of the public authority.

उद्देश्य :-

1. छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापरक पारम्परिक उच्च शिक्षा प्रदान करना ।
2. छात्र/छात्राओं के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें पारम्परिक उच्च शिक्षा के साथ अन्य आवश्यक दक्षताएं प्रदान करना ।
3. उच्च शिक्षा को सार्थक और समाजोपयोगी स्वरूप में बदलने के लिए प्रयास करना ।
4. उच्च शिक्षा को समय की मांग के अनुरूप परिवर्तित करते हुए उसके मूल रूप को यथावत रखना ।
5. पारम्परिक उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी दिशा प्रदान करना ।
6. छात्र/छात्राओं में मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित करने, उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित करने एवं उनमें सर्वधर्म सम्भाव जगाने का प्रयत्न करना ।
7. अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक पिछड़ेपन को कम करने में योगदान देना। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निर्धारित नीति के क्रियान्वयन एवं विभागाध्यक्ष को विभागीय गतिविधियों के संचालन में सहयोग हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है।

2.2. लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

2.2. Mission / Vision Statement of the public authority.

युवा पीढ़ी व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास हेतु शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विधाओं के माध्यम से प्रयास करना।

2.3. लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

2.3. Brief history of the public authority and context of its formation.

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

1. स्थापना का वर्ष जुलाई	1836
2. स्थापना के समय छात्र संख्या	300
3. वर्तमान छात्र संख्या लगभग	3788
4. महाविद्यालय का स्वरूप	शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय,
NAAC द्वारा प्रत्यायित ग्रेड	A ग्रेड प्रदत्त (एकल संकाय)
5. अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र	15 विषयों में विज्ञान स्नातक, 07 विषयों में स्नातकोत्तर एवं BCA
6. महाविद्यालय में स्वीकृत शिक्षकीय पद	
प्राध्यापक	07
सह प्राध्यापक	...
सहायक प्राध्यापक	91
क्रीड़ा अधिकारी	02
ग्रन्थपाल	01
रजिस्ट्रार	01
7. महाविद्यालय में कार्यालयीन कर्मचारी पद	
तृतीय श्रेणी (Group-C)	33
चतुर्थ श्रेणी (Group-D)	66
कंटीजेंसी (Group-D)	28
8. महाविद्यालय का वित्त पोषण	
1. शासकीय निधि – वेतन, भत्ते, अकादिमक व्यय।	
2. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, छात्रवृत्ति आदि।	

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान।
 4. जनभागीदारी के माध्यम से शुल्क अथवा दान द्वारा एकत्रित राशि।
 5. स्वशासी व्यवस्था के तहत उपलब्ध राशि।
9. महाविद्यालय की प्रमुख उपलब्धियाँ
1. परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन।
 2. शैक्षणिक गतिविधियों में महाविद्यालय की प्रतिष्ठित छवि।
 3. ज्ञान, कौशल एवं अनुभवों के संयोजन से नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का संचालन।
 4. उन्नत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली।
 5. निष्पक्ष, स्वच्छ प्रशासन।
 6. पठन पाठन में नवाचार।
7. छात्र ग्राहकता को परिमार्जित करते हुए मूल्यांकन प्रणाली में नई विधाओं का प्रयोग।
10. महाविद्यालय की भविष्य की रणनीति संस्था को अन्य महाविद्यालयों से मिलकर एक डीस्ड विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करना।

2.4. लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

2.4. Duties of the public authority.

1. महाविद्यालय में पंजीकृत छात्राओं की उत्कृष्ट उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना।
2. महाविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों को छात्रोन्मुखी बनाते हुए उसमें निरंतर सुधार के प्रयास करना।
3. संस्था को समाज की मानक कसौटी के अनुसार उत्कृष्ट गुणवत्तापरक संस्था के रूप में विकसित करना।
4. पारदर्शी प्रशासन, विश्वसनीय परीक्षा पद्धति, छात्राओं का सतत समग्र मूल्यांकन और संस्था से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति में संस्था के प्रति निष्ठा जागृत करना।
5. उच्च शिक्षा के लक्ष्य, उत्कृष्टता और गुणवत्ता की ओर अग्रसर होने हेतु संस्था को तैयार करना और इसके लिए कठोर परिश्रम की नीव डालना।
6. छात्र/छात्राओं को संस्कार सम्पन्न बनाने हेतु मूल्यों को शिक्षा के माध्यम से स्थापित करना।
7. विद्यार्थियों के समग्र विकास हेतु आवश्यक कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्धारण करना और उनके कार्यान्वयन हेतु सतत प्रयास करना।

2.5. लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य

2.5. Main activities/functions of the public authority.

1. पारम्परिक उच्च शिक्षा प्रदान करना।
2. उच्च शिक्षा को सार्थक, सामयिक, रोजगारोन्मुखी बनाना।
3. अनुसंधान के लिए सहज, सुगम वातावरण निर्मित करना।
4. संस्था के शिक्षकों में अपने व्यवसाय के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना।
5. संस्था की प्रत्येक इकाई को संस्था के प्रति समर्पित भाव से काम करने हेतु तैयार करना।
6. उच्च शिक्षा की सामाजिक प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण


2.6. List of services being provided by the public authority with a brief write-up on them.

1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करना।
2. अनुसंधान के लिए वातावरण बनाना।
3. सामाजिक सरोकार से संबंधित विभिन्न मुद्रों के प्रति जागरूकता पैदा करना, छात्र/छात्राओं को मार्गदर्शन और परामर्श देना, छात्र/छात्राओं की व्यक्तिगत और पठन-पाठन संबंधित समस्याओं पर संवेदनशीलता के साथ विचार विमर्श करना, छात्र/छात्राओं और अभिभावकों की समस्याओं का यथासंभव निराकरण करना।

4. उच्च शिक्षा के प्रसारण एवं प्रशासन से संबंधित कार्यालयीन व्यवस्था एवं सेवाओं का संधारण करना।
 5. ज्ञान के स्त्रोतों का विकास करना एवं शैक्षणिक सामान्य अभिरुचि और पर्यावरणीय ज्ञान से संबंधित ग्रंथ, पत्र—पत्रिकायें आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना (पुस्तकालय सेवाएं)।
 6. विद्यार्थियों के सामान्य स्वास्थ्य एवं शारीरिक कौशल के अनुरक्षण हेतु क्रीड़ा गतिविधियों की व्यवस्था करना।
 7. विद्यार्थियों को राष्ट्रीय, सामाजिक एवं मानवीय सेवाओं के प्रति सजग संनिष्ठ बनाना (एनएसएस/एनसीसी/रेडक्रास आदि के द्वारा)।
 8. विद्यार्थियों को अजीविका के अर्जन हेतु सम्पन्न बनाने के लिये विभिन्न कार्यक्रम जैसे प्रशिक्षण, स्वरोजगार मार्गदर्शन एवं हस्त कौशल विकास की व्यवस्था करना।
- 2.7. लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहां लागू हो)**
- 2.7. Organizational Structure Diagram at various levels namely State, directorate, region district, block etc (whichever is applicable).**

लोक प्राधिकरण में सम्मिलित घटकों/सहलग्नकों का रेखाचित्र दिया गया है।

अनिवार्य सहलग्नता (Linkages)



2.8 लोक प्राधिकरण की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षाएं

2.8. Expectation of the public authority from the public for enhancing its effectiveness and efficiency.

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय संस्थाओं के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी को देखते हुए कार्य क्षमता को बढ़ाने हेतु जन सहयोग लेना एक प्रभावी उपाय है। जन सहयोग के माध्यम से गासकीय शिक्षण संस्थाएं अधोसंचानात्मक विकास कार्य कर सकती हैं जो प्रभावी व्यवस्थाओं के लिए एक अनिवार्यता है। जन सहयोग न केवल अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए आवश्यक है अपितु संस्था की अन्य समस्याओं के समाधान में तथा संस्था को नया रूप प्रदान करने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। इस कार्य हेतु जनभागीदारी समिति, भूतपूर्व छात्र संगठन एवं पालक संघों की सहायता प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था

2.9 Arrangements and methods made for seeking public participation/contribution.

1. राज्य शासन ने इस प्रकार का जन सहयोग लेने के लिए शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति की व्यवस्था स्थापित की है, यह समिति संस्था के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधन जुटाती है। महाविद्यालय के नये अकादमिक कार्यक्रमों को अपना अनुमोदन देती है और महाविद्यालय के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। इसकी अवधारणा पर आधारित प्रभावी क्रियान्वयन से शासकीय महाविद्यालय अपनी वित्तीय परिसीमाओं को बढ़ा सकते हैं और संसाधन—विहीनता की स्थिति से उबर सकते हैं।

2. इस महाविद्यालय में जून 1997 से जनभागीदारी समिति अस्तित्व में है और समिति के सौजन्य से महाविद्यालय ने अपना बृहद अधोसंचनात्मक विकास किया है, अकादमिक परिदृश्य को बदला है और शिक्षा को रोजगारोनुखी दिशा प्रदान की है। साथ ही महाविद्यालय में छात्रोनुखी बेहतर व्यवस्थाएं स्थापित की हैं।

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

2.10 Mechanism available for monitoring the service delivery and public grievance

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए चार स्तरीय व्यवस्थाएं हैं।

1. सुझाव/शिकायत पेटी : छात्र/छात्राओं के लिए जगह—जगह शिकायत/सुझाव पेटियां लगाई गई हैं जिसमें छात्र/छात्राएं निडर होकर अपनी शिकायत/सुझाव डालती है। सप्ताह में एक दिन शिकायत पेटी में संकलित शिकायतों को शिकायत निवारण समिति द्वारा निकाला जाता है और जहाँ—जहाँ निराकरण संभव होता है वहाँ त्वरित निराकरण किया जाता है। छात्र/छात्राओं ने इस व्यवस्था का अच्छा उपयोग किया है। महाविद्यालय प्रशासन ने बहुत प्रभावी तरीके से इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है।
2. शिक्षक अभिभावक योजना : महाविद्यालय में पंजीकृत सभी छात्र/छात्राओं को 30–30 छात्र/छात्राओं के छोटे—छोटे समूह में विभक्त किया गया है और प्रत्येक समूह के लिए एक शिक्षक को अभिभावक नियुक्त किया है। शिक्षक अभिभावक योजना के तहत प्रत्येक समूह की उनके शिक्षक अभिभावक के साथ प्रतिमाह बैठक आयोजित की जाती है। छात्र/छात्राएं अपने शिक्षक—अभिभावक से अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करती हैं और शिक्षक अभिभावक उन्हें एक मित्र और पथ प्रदर्शक के रूप में परामर्श देते हैं। इस बैठक के माध्यम से महाविद्यालय की प्रमुख सूचनाओं को छात्र/छात्राओं तक “संवाद सेतु” नामक दो पृष्ठीय न्यूज लेटर के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, इससे छात्राओं और प्रशासन के बीच किसी प्रकार की संवाद हीनता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती। साथ ही शिक्षक और छात्र/छात्राओं के बीच आत्मीय संबंध विकसित होते हैं। इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन महाविद्यालय की एक उपलब्धि है।
3. प्राचार्य—छात्र संवाद व्यवस्था : छात्र/छात्राएं सीधे प्राचार्य से अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं। इस व्यवस्था से प्राचार्य और छात्र/छात्राओं के बीच में भी संवाद सूत्र बना रहता है।
4. प्राचार्य—शिक्षक—अभिभावक संवाद व्यवस्था : वर्ष में एक बार अभिभावकों को महाविद्यालय परिसर में आमंत्रित किया जाता है और उन्हें उनकी पाल्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। विशेष परिस्थिति होने पर इसके अलावा भी अभिभावकों को महाविद्यालय में बुलाकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाता है। अभिभावकों के सुझावों का लाभ महाविद्यालय के विकास के लिये लिया जाता है।

2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते

2.11. Addresses of the main office and other offices at different levels. (Please categorise the addresses district wise for facilitating the understanding by the user).

महाविद्यालय का स्थायी पता निम्नानुसार है।

शासकीय विज्ञान महाविद्यालय (स्वशासी),

साउथ सिविल लाईन्स, — पचपेढ़ी, जबलपुर — 482001 (मध्यप्रदेश)

महाविद्यालय पूर्व में ‘राबर्ट्सन कालेज’ और वर्तमान में ‘साईंस कालेज’ के नाम से विख्यात है।

अ. कार्यालय समय :-

महाविद्यालय कार्यालय के खुलने का समय — प्रातः 10.30 बजे

भोजनावकाश — दोपहर 2 — 2.30 बजे

महाविद्यालय के कार्यालय बंद होने का समय — सायं 5.30 बजे

ब. शिक्षण — कार्यावधि :-

कक्षाएं प्रारंभ होने का समय — प्रातः 9.30 बजे

अंतिम कक्षा समाप्त होने का समय — सायं 5.00 बजे

अध्याय – 3 (मैन्युअल–2)
अधिकारियों और कर्मचारियों की
शक्तियां एवं कर्तव्य,

Chapter – 3 (Manual – 2)
Powers and Duties of Officers and Employees

3.1 महाविद्यालयीन अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों की शक्तियां एवं कर्तव्य

3.1 Power and Duties of Officers, Teachers and other Employees

पद का नाम	प्रशासकीय शक्तियां	वित्तीय शक्तियां	अन्य शक्तियां	कर्तव्य
1. प्राचार्य 2. प्राध्यापक 3. सह प्राध्यापक 4. सहायक प्राध्यापक 5. ग्रंथपाल 6. सहायक ग्रंथपाल 7. क्रीड़ा अधिकारी 8. रजिस्ट्रार 9. मुख्य लिपिक 10. लेखापाल 11. सहायक ग्रेड-1 12. सहायक ग्रेड-2 13. सहायक ग्रेड-3 14. प्रयोगशाला तकनीशियन 15. प्रयोगशाला परिचारक 16. बुक लिफ्टर 17. दफतरी / भूत्य / फर्मस / सेनेटरी जमादार / चौकीदार / हास्टल सर्वेन्ट्स / बगीच मजदूर / पम्प अटैन्डेंट / सफाईकर्मी				संबंधित के कार्यों/शक्तियों एवं अधिकारों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

संबंधित के कार्यों/शक्तियों एवं अधिकारों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—

1. प्राचार्य

अ. प्राचार्य के अधिकार एवं कार्य

संस्था प्रमुख की हैसियत से प्राचार्य के कार्यों/कर्तव्यों को किसी एक सूची में सीमित नहीं किया जा सकता है। प्राचार्य को महाविद्यालय प्रमुख (प्रथम श्रेणी अधिकारी) की हैसियत से वे सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार स्वयं प्राप्त होते हैं जिनका उल्लेख, 'मूलभूत नियम', 'वित्तीय संहिता तथा कोष संहिता में हुआ है। प्राचार्य के प्रमुख अधिकार एवं कार्य निम्नानुसार अंकित है—

- प्रशासनिक कार्य एवं अधिकार,
- वित्तीय एवं लेखा कार्य एवं अधिकार,
- कार्यालयीन नित्य कार्य एवं प्रशासन,
- निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुशासनात्मक कार्य,
- उच्च शिक्षा को समाजोपयोगी बनाने की विधियां ढूँढ़ना, उन्हें सृजित करना और कार्य रूप में परिणित करना,
- सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां, अभिभावक एवं समाज के अन्य व्यक्तियों से सम्पर्क सम्बन्धी कार्य,
- संस्था के हित में और छात्रों के भविष्य निर्माण की दृष्टि से उन्नत विचार और कल्पनाओं का सृजन करना उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना,
- शासन के निर्देशानुसार अन्य प्रशासनिक एवं शैक्षणिक दायित्वों का निर्वाह।

ब. प्रशासनिक / वित्तीय शक्तियाँ :

1. तृतीय (केवल लिपिकीय पद) एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारी की नियुक्ति और पदोन्नति के अधिकार
2. अपने महाविद्यालय के उन सभी अराजपत्रित स्टाफ की पेन्शन तय करना जिनकी नियुक्ति का अधिकार प्राचार्य को होता है,
3. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन एवं चरित्र पंजी में प्रथम टीप अंकित करना,
4. महाविद्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आकस्मिक, अर्जित एवं विशेष अवकाश स्वीकृत करना, साथ ही नियमानुसार निर्धारित सीमा में चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करना।
5. विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की स्वीकृत छात्रवृत्तियाँ वितरित करना,
6. महाविद्यालयीन स्टॉफ को शोध कार्य की अनुमति प्रदान करना बशर्ते कि शोध कार्य करने से अधिकारियों / कर्मचारियों के शासकीय कर्तव्यों के पालन में बाधा उपस्थित न हो,
7. प्राचार्य के अवकाश आदि पर जाने पर, प्रभारी प्राचार्य को आहरण एवं संवितरण का अस्थायी अधिकार सौंपना।
8. जनभागीदारी समिति के सदस्य सचिव के रूप में समस्त कार्यकारी अधिकार।
9. अनुपयोगी शासकीय सम्पत्तियों का निर्दिष्ट सीमा के अन्दर अपलेखन अधिकार।
10. स्वासासी परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा नियंत्रक के रूप में प्राप्त अधिकार जो विश्वविद्यालय के कुलपति को प्राप्त अधिकार के समकक्ष हैं।
11. नियंत्रण एवं अनुशासन की दृष्टि से विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच एवं दण्डात्मक कार्यवाही का अधिकार।

ब. 2 वित्तीय शक्तियाँ :

1. प्राचार्य को अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, अग्रिमों के आहरण के साथ जी.पी.एफ., जी.आई.एस. आदि की कटौतियाँ करने का अधिकार होता है। भत्तों, अग्रिमों एवं कटौतियों की कुछ मदों में उनके लिए कुछ सीमा-बन्धन भी निर्धारित किया गया है। इन सभी प्रकरणों में उन्हें नियमानुसार आहरण करने का अधिकार प्रदत्त है।
2. सभी शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों का स्त्रोत पर आयकर काटना।
3. पी.डी. अकाउन्ट खोलने का अधिकार।
4. छात्रवृत्तियों की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार लेखा रखना तथा विभिन्न वर्गों में विद्यार्थियों को स्वीकृत छात्रवृत्ति वितरण करना।
5. शासन द्वारा निर्धारित सीमाओं में वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करना।

कुछ प्रमुख एवं सदैव उपयोग में आने वाले शीर्ष :

1. उपकरण, रसायन, पुस्तके, नक्शे, यंत्र तथ अन्य सहायक सामग्री के क्रय की स्वीकृति प्रदान करना।
2. प्रयोगशाला के फर्नीचर क्रय की स्वीकृति प्रदान करना (इसमें कार्यालय के फर्नीचर एवं उपकरण सम्मिलित नहीं हैं)।
3. स्टोर्स की अप्राप्त वस्तुएं तथा शासकीय धनराशि की कुल हानि की स्वीकृति प्रदान करना।
4. सही उपयोग के दौरान अप्रयोग्य हुए फर्नीचर, पुस्तकें, उपकरण एवं अन्य वस्तुओं की कुलहानि स्वीकृत करना।
5. विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों की स्वीकृति तथा उनका नवीनीकरण करना।
6. यू.जी.सी. से प्राप्त शत प्रतिशत अनुदान के तहत उपकरण, पुस्तकें, यंत्र, मशीन एवं अन्य स्टोर सामग्रियों के क्रय की स्वीकृति प्रदान करना।
7. विद्यार्थियों को शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण के लिए शासन की पूर्वानुमति के पश्चात अनुमति प्रदान करना (शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियमों एवं आदेशों के अनुकूल)।
8. महाविद्यालयीन कर्मचारी / अधिकारियों के भ्रमण / यात्रा संबंधी व्ययों का भुगतान।

स. अन्य सहायक वित्तीय अधिकार :

1. रिकरिंग नैमित्तिक व्ययों की स्वीकृति प्रदान करना।
2. मरम्मत श्रेणी के छोटे निर्माण कार्य के व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
3. बहुत आवश्यक एवं आपात स्थिति में स्थानीय अशासकीय प्रेसों में छपाई का कार्य करना।
4. स्थानीय प्रेसों या बुक बाइन्डरों द्वारा बाइंडिंग का कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करना।
5. फर्नीचर की मरम्मत की स्वीकृति प्रदान करना।
6. स्थायी तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों के उपयोग के लिए गरम कम्बल/वर्दी प्रदान करने की स्वीकृति देना।
7. कार्यालय के लिए फर्नीचर किराए से लेने की स्वीकृति प्रदान करना।
8. पुस्तकें, पाठ्य सामग्री तथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करना।
9. जनभागीदारी समिति द्वारा अनुमोदित बजट का नियमानुसार संस्था के लिये उपयोग करना।
10. स्ववित्त योजना में उपलब्ध राशि का वित्त समिति द्वारा पारित बजट के अनुसार उपयोग करना।

2. विभागाध्यक्ष

यद्यपि शासन द्वारा विभागाध्यक्ष पद का निर्धारण नहीं किया गया है फिर भी महाविद्यालय के प्रत्येक शैक्षणिक विभाग में वरिष्ठतम् शिक्षक विभागाध्यक्ष के रूप में मनोनीत है। विभागाध्यक्ष निम्न कार्य करते हैं :—

1. विभाग में समन्वय स्थापित करते हुए विभागीय कार्य का बंटवारा करना।
2. विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों का उपयोग करना।
3. विभाग के लिए बजट आवंटन प्राप्त करना, विभाग की आवश्यकताओं को चिह्नित करना और उपलब्ध बजट सीमा में प्राथमिकताएं निर्धारित करना।
4. विभाग के लिए आवश्यक सामग्री का शासकीय नियमानुसार क्रय करना।
5. विभाग के लिए विभाग की समय सारणी तैयार करना और अध्ययन अध्यापन की व्यवस्थाओं पर सतत निगरानी रखना।
6. विभाग के शिक्षकों से शिक्षक डायरी संधारित करवाना और उनका सतत निरीक्षण करना।
7. अपने विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक आयोजित करना और पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा करना।
8. स्वशासी परीक्षा व्यवस्था के तहत विभाग में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था करना और इसमें नवाचार का प्रयास करना।
9. आंतरिक मूल्यांकन के अंक निर्धारित पुस्तक में इन्द्राज कर नियंत्रक परीक्षा को समयावधि में सौपना।
10. विभाग के शिक्षकों को उत्कृष्ट अध्यापन और अनुसंधान कार्य करने के लिए अभिप्रेरित और प्रोत्साहित करना।
11. आवश्यकतानुसार नये विषयों/प्रश्न पत्रों/पाठ्यक्रमों के प्रस्ताव तैयार करना और इसे अध्ययन मण्डल के माध्यम से अकादमिक परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।
12. प्राचार्य के निर्देशानुसार ऐसे सभी कार्यों में सहयोग देना जो संस्था के लिए आवश्यक हो।
13. परीक्षा समिति की बैठक आयोजित कर परीक्षकों के नाम के पैनल निर्धारित पुस्तिका में नियंत्रक परीक्षा को उपलब्ध कराना।
14. विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के अवकाश का अभिलेख संधारित करना।
15. विभाग के कर्मचारियों के कार्य पर प्रशासकीय नियंत्रण रखना।
16. विभाग में प्रायोगिक कार्य और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करना (जहाँ आवश्यक हो)।
17. विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियों का संचालन करना।
18. शिक्षक-अविभावक योजना के तहत विद्यार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनकी समस्याओं का निराकरण करना।

3. ग्रन्थपाल

ग्रन्थपाल पुस्तकालय प्रमुख होता है, ग्रन्थपाल के कार्यों का विवरण इस प्रकार है –

1. पुस्तकालय की समेकित व्यवस्था स्थापित करना।
2. पुस्तकों के क्रय और संग्रहण की उचित व्यवस्था करना। खुली निविदा प्रक्रिया का पालन करना।
3. पुस्तकालय व्यवस्था छात्र, शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध कराना।
4. पुस्तकालय के कर्मचारियों में कार्य विभाजन तथा उनके कार्य पर सतत निगरानी रखना।
5. पुस्तकालय का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की संतुष्टि के अनुरूप व्यवस्थाओं को परिमार्जित करना।
6. पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों एवं सामग्रियों का संधारण करना एवं अन्य अनुपयोगी सामग्रियों एवं जीर्णशीर्ण पुस्तकों के अपलेखन की व्यवस्था करना।
7. अनुपयोगी पुस्तकों के अपलेखन के लिए प्राचार्य को समय समय पर आवश्यकतानुसार प्रस्ताव देना।
8. प्राचार्य की निर्देशानुसार पुस्तकालय को तकनीकी और आधुनिक दृष्टि से समृद्ध बनाने का प्रयास करना।
9. प्राचार्य के निर्देशानुसार अन्य कार्य करना।

4. क्रीड़ा अधिकारी

क्रीड़ा अधिकारी क्रीड़ा विभाग का प्रमुख होता है, क्रीड़ा अधिकारी के कार्यों का विवरण इस प्रकार है –

1. छात्र/छात्राओं के खेलकूद से संबंधित समस्त गतिविधियों की व्यवस्था का संचालन।
2. खेलकूद से संबंधित सामग्री का क्रय और रख रखाव।
3. खेल मैदानों का रख रखाव।
4. विभिन्न खेलों के आयोजन में महाविद्यालय के दल की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने और छात्र/छात्राओं को प्रत्येक खेल में बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराना।
5. क्रीड़ा विभाग में उपलब्ध सामग्री की सुरक्षा संधारण और अनुपयोगी सामग्री के अपलेखन की व्यवस्था करना।
6. महाविद्यालय में खेल संस्कृति का विकास करना।
7. प्राचार्य के निर्देशानुसार अन्य कार्य करना।

5. प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक (शिक्षक संघर्ष)

किसी भी शिक्षण संस्था में शिक्षक मुख्य धुरी के रूप में रहते हैं। शिक्षकों की योग्यता, निष्ठा, लगन और परिश्रम से संस्था विकसित होती है। संस्था की प्रतिष्ठा भी शिक्षकों की प्रतिष्ठा से स्थापित होती है। अतः किसी भी व्यवसाय की तुलना में शिक्षकीय व्यवसाय अधिक उदात्त और सम्माननीय है।

शिक्षकों से महाविद्यालय निम्न अपेक्षाएं रखता है –

1. शिक्षण संस्था के प्रति पूर्णरूपेण प्रतिबद्ध होकर कार्य करना तथा संस्था और छात्र/छात्राओं में रुचि लेते हुए अपने शिक्षकीय उत्तरदायित्वों का वहन करना।
2. समय की पाबंदी का विशेष ध्यान रखना। महाविद्यालय में प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे रुकना। 40 घण्टे प्रति सप्ताह के कार्य की अनिवार्यता की निष्ठा से पूर्ति करना। इस समय का उपयोग अध्यापन के अलावा पुस्तकालय में नवीनतम पुस्तकों के अध्ययन और उन्हें सौंपे गए शैक्षणेत्तर उत्तरदायित्वों को वहन करने में करना।
3. अपने अध्यापन कार्य का एक वार्षिक संयोजन तैयार करना। इसे साप्ताहिक कार्यक्रम में विकसित करते हुए प्रति सप्ताह कक्षाओं में लिए जाने वाले व्याख्यानों की एक सूची तैयार करना। इसे छात्र/छात्राओं के लिए विभागीय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना ताकि छात्र/छात्राएं पूर्व तैयारी के साथ कक्षाओं में भाग ले सके।
4. पठन–पाठन की नवीन शैलियों का प्रयोग करना। केवल व्याख्यान पद्धति से अध्यापन का कार्य न करते हुए विभिन्न दृश्य–शृंखला माध्यमों का उपयोग करना।

5. विभागाध्यक्ष के निर्देशन में छात्राओं के आंतरिक मूल्यांकन की समुचित व्यवस्था करना ।
6. छात्र/छात्राओं को प्रेरित करते हुए उनकी कक्षा में उपस्थिति सुनिश्चित करवाना ।
7. अध्ययन में कमज़ोर छात्राओं के लिए विशेष प्रयास करना ताकि ऐसे छात्र/छात्राओं का मनोबल ऊँचा रखा जा सके और उन्हें अच्छे अंक प्राप्त करने की प्रेरणा सतत रूप से मिलती रहे ।
8. शिक्षकों को निष्पक्ष, निर्भीक, नियंत्रित व्यवहार रखना चाहिए ताकि छात्र/छात्राओं की शिक्षकों में आस्था बनी रहे ।
9. कोई भी संरथा शिक्षक के सहयोग के बिना उत्कृष्टता के आयाम नहीं पा सकती । शिक्षक और छात्र/छात्राओं के बीच के संवेदनशील संबंधों को माधुर्य और गरिमा देने में शिक्षकों की महती भूमिका है । इन्हीं संबंधों से संस्था की प्रतिष्ठा बनती है और संस्था छात्र हित के अभिनव प्रयोग कर पाती है ।
अतः शिक्षकों के सहयोग की अपेक्षा महाविद्यालय को रहेगी ।

महत्वपूर्ण :- शिक्षक अपनी समस्या का समाधान पूर्ण संवैधानिक तरीके से महाविद्यालय प्रशासन को विश्वास में लेकर करवाएंगे । किसी भी प्रकार की आक्रामक, अनुशासनहीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे ।

6. रजिस्ट्रार

बड़े महाविद्यालय में प्राचार्य के बढ़ते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय कार्यभार को देखते हुए, राज्य शासन ने उन महाविद्यालयों में, जिनकी विद्यार्थी—संख्या एक हजार से अधिक है, राजपत्रित द्वितीय श्रेणी स्तर का, रजिस्ट्रार पद निर्मित किया है ।

इस पद के माध्यम से व्यवस्था की गयी है कि प्राचार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों में से कुछ अधिकार रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजित करें । इन अधिकारों के प्रत्यायोजन से प्राचार्य अपने मूल दायित्व से मुक्त नहीं होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा संस्था के लिये किये गये कार्यों के लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी माने जायेंगे ।

7. मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक स्थापना शाखा का प्रमुख कर्मचारी होता है इस नाते स्थापना से संबंधित समस्त कार्य का उत्तरदायित्व मुख्य लिपिक का है ।

1. सभी शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों की सेवा पुरित्का, व्यक्तिगत नस्ती, अवकाश का लेखा संधारित करना ।
2. तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्यों का विभाजन तथा उनका नियंत्रण ।
3. लेखा कार्यों के प्रभारी के रूप में कैश—बुकों तथा लेखा—रजिस्टरों में अंकित प्रविष्टियों की जांच और प्रमाणीकरण करना ।
4. परीक्षा संबंधी प्रबंध एवं लेखीय कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाना ।
5. यह सुनिश्चित करना कि संस्था के कार्यालय में प्रशासनिक नियंत्रण के साथ अनुशासन, शिष्टाचार और शालीनता का वातावरण बना रहे ।
6. संस्था में पानी एवं बिजली प्रणाली को व्यवस्थित रखने के साथ महाविद्यालयीन फर्नीचर, भवन एवं परिसर के रख—रखाव, सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था करना ।
7. महाविद्यालय की शैक्षिक तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में प्राचार्य तथा विभिन्न प्रभारी अधिकारियों को सक्रिय सहयोग देना एवम् प्रशासकीय व्यवस्थाएं स्थापित करना ।
8. यह सुनिश्चित करना कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी पूर्णतः कर्मचार हैं और वे अपना—अपना काम ठीक तरह से और परिश्रमपूर्वक करते हैं । इसका सतत निरीक्षण करना ।
9. प्राचार्य एवं रजिस्ट्रार के द्वारा समय—समय पर दिये गए निर्देशों का पालन करना ।

8. लेखापाल

लेखापाल लेखा शाखा का क्रियात्मक प्रभारी होता है, इनके प्रमुख कार्य इस प्रकार है—

1. समस्त शासकीय सेवकों के वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक, यात्रा भत्ता देयकों आदि को विधिवत तैयार कर कोषालय से पारित कराना ।
2. बैंक से नगदीकरण के उपरांत संबंधित व्यक्तियों को भुगतान करना ।

3. निर्धारित अवधि में वितरित न हो पाने पर अवितरित राशि को कोषालय में वापस जमा करना।
4. शासकीय और अशासकीय कैश-बुक तथा उससे संबंधित सभी वाउचरों को व्यवस्थित रखना। लेजर तथा लेखा संबंधी अन्य रजिस्टरों एवं आलेखों को अद्यतन रखना।
5. मासिक आय-व्यय पत्रक बनाना तथा महाविद्यालय का बजट बनाते हुए निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना।
6. रोकड़ बही लिखना और रोकड़ बही के कैश बेलेन्स का कैशियर की डेली/कैश-बुक से मिलान करना।
7. रसीद-कट्टों के प्रतिपर्णों से डेली-फी-कलेक्शन (डी.एफ.सी) रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों का मिलान करना और विद्यार्थी द्वारा जमा किये गये शुल्कों को निर्धारित पद्धति द्वारा कोषालय में जमा करना।
8. लेखा शाखा के सभी आलेखों को दिनाप्त रखते हुए उन्हें आडिट-योग्य स्थिति में रखने का दायित्व लेखापाल का है।
9. प्राचार्य, रजिस्ट्रार एवं मुख्य लिपिक द्वारा आदेशित कार्यों को समय में पूरा करना लेखापाल का कर्त्तव्य है।

9. कैशियर (रोकड़िया)

1. शासकीय एवं अशासकीय निधियों को एकत्र करना, और एकत्रित रोकड़ को लेखापाल के माध्यम से यथाशीघ्र कोषालय में जमा करवाना।
2. वेतन आदि सभी प्रकार के देयकों की नगद राशि को कोषालय/बैंक से लाना।
3. पारित राशि को संबंधित व्यक्ति को भुगतान करना तथा भुगतान किए गए वाउचरों को लेखापाल के सुपुर्द कर, यह सत्यापित करना कि कैशबुक के अनुसार रोकड़ सही है।
4. छात्राओं द्वारा जमा किए गए शुल्कों की राशि को प्राप्त करना और उसे वर्गीकृत अवस्था में रखना। शुल्क नियमित रूप से बैंक में जमा करना।
5. कैशियर द्वारा प्राप्त और उसके द्वारा भुगतान की गयी प्रत्येक राशि को कच्ची रोकड़- बंही में लिखना और भुगतान किये गये प्रत्येक बिल में मेरे द्वारा भुगतान किया गया लिखकर अपने हस्ताक्षर करना।
6. प्रत्येक दिन का रोकड़ी-व्यवहार समाप्त होने पर वसूल/प्राप्त की गयी धनराशि तथा समस्त भुगतान किये गये वाउचरों को लेखापाल को सौंपना।
7. कैशियर को प्राचार्य, रजिस्ट्रार, मुख्य लिपिक तथा लेखापाल द्वारा आदेशित अन्य कार्य करना।

10. उच्च श्रेणी तथा निम्न श्रेणी लिपिक

i. कार्यालय सहायक ग्रेड II and III

- कार्यालय के लिपिकीय कार्यों के सम्पादन के लिए तथा लेखापाल एवं मुख्य लिपिक द्वारा समय-समय पर सौंपे कार्यों के सम्पादन हेतु, एक उच्च श्रेणी (सहायक ग्रेड II) तथा पाँच निम्न श्रेणी लिपिकों (सहायक ग्रेड III) के पद निर्मित हैं।
- विद्यार्थी, छात्रवृत्ति, भंडारण, टाइपिंग कार्य, आवक-जावक, शुल्क संकलन सदृश कार्यों का भार इन लिपिकों को सौंपा गया है।
- प्राचार्य मुख्य लिपिक से विचार-विमर्श कर, इन लिपिकों को कार्यालय और महाविद्यालय के अन्य कार्य सौंपते हैं।

ii. प्रयोगशाला तकनीशियन : (अराजपत्रित तृतीय श्रेणी शैक्षणिक संवर्ग)

प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशाला का प्रभारी होता है और विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करता है। इनके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं –

1. प्रयोगशाला में कार्य करने वाले विद्यार्थियों को आवश्यक उपकरण, रसायन आदि प्रयोग-सामग्री इश्यू करना तथा प्रयोग के उपरांत अक्षय सामग्री वापस लेना।

2. विभागाध्यक्ष के मार्गदर्शन में, अपने विभाग के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु कोटेशन आदि आमंत्रित करने में सहायता करना तथा कोटेशन प्राप्त होने पर क्रय नियमों के तहत, तुलनात्मक चार्ट तैयार करना।
3. आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर आदेश—पत्र आदि विभाग प्रमुख के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करना।
4. सामग्री प्राप्त होने पर स्टॉक—रजिस्टर में प्रविष्टि और उनके रख—रखाव तथा उपयोग की यथोचित व्यवस्था करना।
5. स्टॉक का भौतिक सत्यापन तथा अपलेखन कार्य करना भी प्रयोगशाला तकनीशियन की कार्य—परिधि में आता है।
6. प्रयोगशाला परिचारक से आवश्यक कार्य लेना है और प्राचार्य से निर्देश मिलने पर, विभाग प्रमुख की जानकारी में, महाविद्यालय के हित में अन्य कार्य करना। प्राचार्य महाविद्यालय की प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप इनसे कार्यालयीन कार्य भी ले सकते हैं।
7. प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्पादन में तत्परता, सतर्कता और गोपनीयता से अपना कार्य पूरा करना।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

i. प्रयोगशाला परिचारक

प्रयोगशाला परिचारक प्रयोगशाला का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है तथा विभाग प्रमुख और प्रयोगशाला तकनीशियन के निर्देशानुसार विभाग के विभिन्न कार्य करता है।

1. अपने विभाग को समय पर खोलना, बन्द करना, पूरे समय विभाग में उपस्थित रहना और उसकी सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना।
2. आवश्यकतानुसार महाविद्यालय के अन्य कार्यों में मुख्य लिपिक, रजिस्ट्रार और प्राचार्य के निर्देशानुसार सहयोग देना।

ii. भूत्य

1. महाविद्यालय के कमरों/फर्नीचर की सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था करना।
2. डाक लाना—ले जाना है।
3. कोषालय, बैंकों के बीच देयकों, चालानों आदि के लाने—ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य भी भूत्यों द्वारा किया जाता है।
4. प्राचार्य/रजिस्ट्रार/मुख्य लिपिक द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य करना।

महाविद्यालय एवं कार्यालय में विभिन्न कार्यों के निर्बाध सम्पादन के लिए प्राचार्य द्वारा मुख्य लिपिक से विचार—विमर्श कर भूत्यों के बीच कार्यों का विभाजन किया जाता है। प्राचार्य का उन पर सतत नियंत्रण एवं निरीक्षण रहता है। भूत्यों के कार्यों पर प्राचार्य, रजिस्ट्रार एवं मुख्य लिपिक की सीधी नजर रहती है ताकि वे अपने कार्यों में किसी प्रकार शिथिलता न बरतें।

iii. सफाई कर्मचारी (स्वीपर)

यह पद भी महाविद्यालय की स्थापना में स्वीकृत है। सफाई कर्मचारी विद्यालय के शौच कक्षों की स्वच्छता के साथ, भवन तथा परिसर की सफाई के लिए जिम्मेदार होता है। महाविद्यालय की साफ सफाई एवं अन्य कार्य हेतु भूत्य के 5 पद, एक पद माली, एक पद खलासी, एक पद चौकीदार, एक पद फर्राश, एक पद स्वीपर का स्वीकृत हैं। इन सभी पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं।

उपरोक्त नियमित कर्मचारियों के अलावा इस महाविद्यालय में कुछ अस्थायी/अंशकालीन व्यक्ति भी कार्यरत हैं जिन्हें विभिन्न अशासकीय मदों से समेकित राशि पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होती है।

अध्याय-4 (मैन्युअल-3)
कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम,
अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

Chapter – 4 (Manual – 3)
Rules, Regulations, Instructions, Manual and
Records for Discharging Function

4.1 लोक प्रधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराएं (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिये पृथक से प्रस्तुत करें)

4.1. Please provide list of rules, regulations, instructions, manual and records, held by public authority or under its control or used by its employees for discharging functions as per the following format. This format has to be filled for each type of document.

महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों, एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची अगले पृष्ठ में संलग्न है।

क्र.	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार (किसी एक प्रकार को चुने –यथा, नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, अभिलेख, अन्य)	अभिलेख का संक्षिप्त परिचय	नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ? (पता, दूरभाष क्रमांक, फैक्स क्रमांक ई—मेल, अन्य)	नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)
1	स्थापना से संबंधित समस्त दस्तावेज	अभिलेख, दस्तावेज, रजिस्टर्स, सेवा पुस्तिकाएं, नस्तियां	शिक्षकों, अधिकारीयों, कर्मचारियों की स्थापना से सम्बंधित समस्त दस्तावेज। (सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती, गोपनीय चरित्रावली अवकाश नस्ती, शास्ति नस्ती)	राजपत्रित अराजपत्रित स्थापना से	शासन द्वारा निर्धारित शुल्क मान्य होगा। प्रतिबंधित दस्तावेज नहीं दिखाए जायेंगे।
2	दैनिक शुल्क संग्रहण पंजी : जनरल फी कलेक्शन (जी.एफ.सी.) रजिस्टर एवं प्रारूप	रजिस्टर, रसीद कट्टे, रसीदें	प्रतिदिन लिये जाने वाले शुल्क का अभिलेखीकरण	छात्र शुल्क लिपिक	
3	लेखाशाखा	लेखा अभिलेख	शिक्षकों, अधिकारीयों, कर्मचारियों की स्थापना से सम्बंधित समस्त दस्तावेज क्रय प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज, भुगतान प्रक्रिया संबंधित दस्तावेज, बाउचर्स शिक्षकों, अधिकारीयों, कर्मचारियों की स्थापना से सम्बंधित समस्त दस्तावेज	लेखापाल	
4	गोपनीय प्रतिवेदन	अभिलेख		प्राचार्य	प्रतिबंधित

5	न्यायालयीन प्रकरण अभिलेख	अभिलेख		प्राचार्य	प्रतिबंधित दस्तावेज नहीं दिखाए जायेंगे।
6	विद्यार्थी शाखा प्रवेश नियम आदेश सूचनाएँ प्रवेश सूचियाँ शुल्क जमा, अंतिम तिथि, अंतिमस्थिति वर्णमाला क्रम, कक्षावर, विषय क्रम, वर्गवार प्रवेश सूचियाँ प्रवेश पंजी स्वाध्यायी छात्रों हेतु अनुमति परीक्षा परिणाम सूचना फाइल स्थानान्तरण प्रमाण / चरित्र प्रमाण अग्रेषण पुराने अभिलेख नष्टीकरण अंकसूची अनुक्रमांक विवरण	अभिलेख	नियम, अनुदेश, विनियम	छात्र लिपिक	शासन द्वारा निर्धारित शुल्क मान्य होगा।
7	नामांकन फाइल परीक्षा आवेदन – अनुक्रमांक	अभिलेख	नियम, अनुदेश, विनियम	छात्र लिपिक	शासन द्वारा निर्धारित शुल्क मान्य होगा।
8	छात्रवृत्ति शाखा छात्रवृत्ति सूचनाएँ मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ नवीन (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) अभिलेख नवीनीकरण छात्रवृत्तियाँ (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) शासन की एकीकृत छात्रावृत्तियाँ विकलागां की विशेष छात्रावृत्तियाँ अन्य व्यक्ति संस्था द्वारा संरचित छात्रवृत्तियाँ छात्रवृत्तियों से संबंधित रजिस्टर बैंक से पत्र व्यवहार छात्र सहायता कोष विविध	अभिलेख	नियम, अनुदेश, विनियम	छात्र शुल्क लिपिक	शासन द्वारा निर्धारित शुल्क मान्य होगा। प्रतिबंधित दस्तावेज नहीं दिखाए जायेंगे।
9	क्रय एवं भंडारण शाखा क्रय प्रक्रिया अधिकृत प्रदायकर्ताओं की सूची शासन द्वारा मान्य इकाइयों की मूल्य सूचियाँ क्रय समिति का गठन निविदा आमंत्रण तुलनात्मक चार्ट क्रयादेश स्टाक रजिस्टर निर्गमन पंजी मुद्रण कार्य फाइल भौतिक सत्यापन क्रय बिक्री नीलामी – पलेखन	स्टाक रजिस्टर, नस्तियां, निविदाए	नियम, विनियम, तुलनात्मक प्रपत्र, भौतिक सत्यापन, प्रतिवेदन, संधारण नस्ती	भंडार क्रय प्रभारी	शासन द्वारा निर्धारित शुल्क मान्य होगा। प्रतिबंधित दस्तावेज नहीं दिखाए जायेंगे।
10	आवक-जावक शाखा आवक पंजी जावक पंजी भृत्य पुस्तिका डाक टिकिट लेखा विविध	अभिलेख	रजिस्टर, दस्तावेज	प्रभारी लिपिक	शासन द्वारा निर्धारित शुल्क मान्य होगा।

11	ग्रन्थालय एवं वाचनालय शाखा ग्रन्थालय—वाचनालय सम्बंधी नियम ग्रन्थालय समिति का गठन एवं कार्य पुस्तकों एवं ग्रंथों की विषयवार सूचियां तथा ग्रन्थालय फर्नीचर, उपकरणों आदि के कैटलॉग विभागों से प्राप्त पुस्तकों एवं क्रय प्रस्तावों की स्वीकृतियां खरीदी प्रक्रिया, कोटेशन कॉल पत्र, कोटेशन आदि, तुलनात्मक चार्ट / रजिस्टर, क्रय समिति की अनुशंसा एवं प्राचार्य की स्वीकृति आदि क्रय आदि, माल एवं देयक की प्राप्ति, माल की जांच, स्वीकृति	पुस्तकें जर्नल्स अभिलेख आदि	स्टाक रजिस्टर, नस्तियां, निविदा पत्र	ग्रंथपाल	शासन द्वारा निर्धारित ¹ शुल्क मान्य होगा। प्रतिबंधित दस्तावेज नहीं दिखाए जायेंगे।
12	क्रीड़ा एवं शारीरिक शाखा कीड़ा खेलकूद सम्बन्धित नियम – आदेश फाइल क्रय प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेष अनुदानों खेल मेदान, छात्र शारीरिक कल्याण शुल्क जनभागीदारी	अभिलेख नस्तियां	खेल सामग्री क्रय का अभिलेख, क्रीड़ा अभिलेख, अन्य	क्रीड़ा अधिकारी	शासन द्वारा निर्धारित ¹ शुल्क मान्य होगा। प्रतिबंधित दस्तावेज नहीं दिखाए जायेंगे।
13	स्वशासी व्यवस्था स्वशासी महाविद्यालय की प्रबंधन व्यवस्था व निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित अभिलेख ।	नस्ती, नियम उपनियम, अनुदेश	स्वशासी परीक्षा तंत्र	प्राचार्य नियंत्रक	शासन द्वारा निर्धारित ¹ शुल्क मान्य होगा। प्रतिबंधित दस्तावेज नहीं दिखाए जायेंगे।
14	वार्षिकोत्सव / स्नेह सम्मेलन/युवा उत्सव	अभिलेख नस्तियां		स्नेह सम्मेलन, सांस्कृतिक, युवा उत्सव गतिविधियाँ प्रभारी	
15	एन.सी.सी. फाईल	अभिलेख नस्तियां		एन सी सी युनिट प्रभारी शिक्षक	
16	एन.एस.एस. फाईल अभिलेख नस्तियां	अभिलेख नस्तियां		एन एस एस युनिट प्रभारी शिक्षक	

नोट :

सभी अभिलेख स्थायी प्रकृति के नहीं हैं और भिन्न भिन्न अभिलेखों के लिये निश्चित समयावधि के बाद उन्हें नष्ट कर देने की व्यवस्था नियमों में है। अतः यह व्यवस्था अभिलेख उपलब्ध कराते समय भी ध्यान में रहेगी। अभिलेखों के संधारण के लिए शासन द्वारा समयावधि निर्धारित की गई है। अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए वह समय सीमा लागू रहेगी।

अध्याय—5 (मैन्युअल—4)
नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में
जनता या जन—प्रतिनिधि से परामर्श के लिये
बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

Chapter – 5 (Manual – 4)
Particulars of any Arrangement That Exists for
Consultation with or Representation by the
Members of the Public in Relation to the
Formulation of its Policy or Implementation
thereof

नीति निर्धारण Formulation of Policy

- 5.1 क्या लोक प्रधिकारण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।
- 5.1. Whether there is any provision to seek consultation/ participation of public or its Representatives for formulation of policies? If there is, please provide details of such Policy in following format.

क्र	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
1	जनभागीदारी व्यवस्था	हाँ	<p>महाविद्यालयों में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनभागीदारी समितियों का गठन किया गया है। राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन में जनभागीदारी की दृष्टि से उन्हें मध्यप्रदेश सोसायटी जिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत करने का प्रावधान किया गया है।</p> <p>जनभागीदारी की विस्तृत रूप रेखा अधिसूचना क्रमांक एफ-73-6-96-सी-3 -36 दिनांक 30 सितम्बर, 96 में दी गई है जो उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in/ पर उपलब्ध है।</p> <p>महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति का पंजीयन क्रमांक श्रेणी 5139 ;जे. जे. 5139 दिनांक 25 जनवरी 2001 है। समिति की सूची अध्याय 7 में अंकित है।</p>

नीति के कार्यान्वयन हेतु

- 5.2 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से/की परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान है? यदि है तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

Execution of Policies

- 5.2 Whether there is any provision to seek consultation/ participation of public or its Representatives for execution of policies? If there is, please provide details of such Policy in following format

शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समितियों को निम्न लिखित विषयों में प्रबंधन के एवं भागीदारी के अधिकार दिए गए हैं—

क्र	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था
1	शिक्षण कार्य की गुणवत्ता एवं समीक्षा	हाँ	जनभागीदारी की विस्तृत रूप रेखा अधिसूचना क्रमांक एफ-73-6-96-सी-3-36 दिनांक 30 सितम्बर, 96 के अनुसार जो कि उच्चशिक्षा विभाग की वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in/ पर उपलब्ध है।
2	शिक्षण शुल्क वृद्धि/पुनरीक्षित करने एवं उससे प्राप्त राशि से विकास कार्य किया जाना।	हाँ	क्रमांक एफ-73-6-96-सी-3-36 दिनांक 30 सितम्बर, 96 के अनुसार जो कि उच्चशिक्षा विभाग की वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in/ पर उपलब्ध है।
3	स्ववित्तीय आधार पर व्यायसायिक एवं अन्य पाठ्यक्रम प्रारंभ करना।	हाँ	केवल उन्हीं मद्दें में जनभागीदारी अनिवार्य है जिनका संबंध समिति द्वारा संकलित राशि से किया गया हो।
4	स्ववित्तीय आधार पर प्रारंभ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की शिक्षण व्यवस्था हेतु मानदेय के आधार शिक्षकों एवं स्टाफ की व्यवस्था तथा मानदेय निर्धारण।	हाँ	खाते का संचालन सदस्य सचिव द्वारा किया जाता है।
5	जनभागीदारी समिति के खाते का संचालन।	जनभागीदारी वित्त समिति – प्रबन्ध समिति – सामान्य परिषद
6	जनभागीदारी समिति का बजट पारित करना।	

अध्याय – 6 (मैन्युअल-5)
लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में
उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

Chapter - 6 (Manual – 5)
A Statement of the Categories of
Documents that are Held by It or Under Its
Control

6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें। साथ ही यह भी बताएं कि यह दस्तावेज कहाँ उपलब्ध रहते हैं जैसे कि सचिव स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, अन्य (कृपया "अन्य" का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)

6.1. Use the format given below to give the information about the official documents. Also mention the place where the documents are available for e.g. at secretariat level, directorate level, others (Please mention the level in place of writing "Others").

क्र	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	प्रवेश सूची	प्राचार्य द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार या तो दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाएगी या उसे महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।	प्राचार्य / छात्रशाखा लिपिक
2	प्रवेश के नियम	शासन व विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियम	प्राचार्य / प्रवेश प्रभारी प्राध्यापक
3	स्वशासी परीक्षाओं के संचालन के नियम	महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है।	प्राचार्य / परीक्षा नियंत्रक
4	जनभागीदारी समिति के अंतर्गत सामान्य परिषद की बैठक के मिनिट्स	महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है।	प्राचार्य / सचिव
5	छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों की सूची	महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है।	छात्र शुल्क लिपिक
6	जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदान करने की योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की सूची	महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है।	ग्रन्थपाल
7	जनभागीदारी योजना के अंतर्गत वर्षवार आय-व्यय ब्यौरा	महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है।	लेखापाल
8	स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत वर्षवार आय-व्यय ब्यौरा	महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है।	लेखापाल
9	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त राशि का ब्यौरा - स्वीकृत राशि, विमुक्त राशि, उपयोग की गई राशि एवं शेष राशि	महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है।	यू.जी.सी. संयोजक
10	रिजर्व फंड/मिश्र कोष में उपलब्ध राशि एवं इसके व्यय का वर्षवार ब्यौरा	महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है।	लेखापाल
11	शासन से प्राप्त राशि का मदवार, वर्षवार आय-व्यय का ब्यौरा	महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है।	लेखापाल
12	महाविद्यालय की विभिन्न समितियां और उनके अधिकार तथा कर्तव्य	महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है।	प्राचार्य / रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित
13	समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएँ	महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है।	राजपत्रित / अराजपत्रित स्थापना

अध्याय – 7 (मैन्युअल–6)
बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

Chapter – 7 (Manual – 6)
A Statement of Boards, Council, Committees and
Other Bodies Constituted as its Parts

7.1 कृपया लोक प्राधिकरण से सबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप के आधार पर दें ..

7.1. Please provide information on Boards, Councils, Committees and Other Bodies Related to the public authority in the following format:

महाविद्यालय की प्रबंधन व्यवस्था : महाविद्यालय की प्रबंधन व्यवस्था त्रिस्तरीय है शासकीय तंत्र और प्रणाली जिसके तहत शासन द्वारा स्थापित मानदण्डों के अनुसार विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियाँ एक वर्ष तक कार्य करती हैं और आगामी शैक्षणिक सत्र से पुनः इन समितियों में नये सदस्यों का मनोनयन किया जात है। ऐसी समिति की सूची संलग्न है।

महाविद्यालय स्वशासी होने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान अनुदान आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों और अभिभावक विश्वविद्यालय (रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर) के परिनियम-36 के अनुसार विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। सभी समितियों में बाह्य विषय विशेषज्ञ एवं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधी मनोनीत रहते हैं। समितियाँ इस प्रकार हैं—

(1) अध्ययन मण्डल :

प्रत्येक विषय में एक अध्ययन मण्डल बनाया जाता है। उस विषय का विभागाध्यक्ष अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष होता है। अध्ययन मण्डल की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जाती है लेकिन वर्ष में कम से कम एक बैठक अनिवार्य रूप से होती है। अध्ययन मण्डल के कार्य निम्नानुसार है :

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या का निर्धारण जो राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर मानक सिद्धांतों के अनुरूप हो और छात्र हित में उपयोगी हो।
2. अध्यापन और मूल्यांकन की नवाचारी विधियाँ प्रस्तावित करना।
3. परीक्षकों के नाम का पैनल तैयार करने के लिए एक उप समिति का गठन करना।
4. कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्देशित अन्य अकादमिक कार्य करना।
5. अध्ययन मण्डल का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।

अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार किये गये सभी प्रस्ताव अकादमिक परिषद के विचारार्थ रखे जाते हैं और अकादमिक परिषद इन्हें या तो अनुमोदित करती है या संशोधन के लिए पुनः अध्ययन मण्डल को भेज सकती है।

(2) अकादमिक परिषद :

अध्ययन मण्डल से वरीयता क्रम पर अकादमिक परिषद बनाई जाती है। यह परिषद अकादमिक मामलों में निर्णय लेने के लिए और अनुमोदन देने के लिए गठित एक वरीय इकाई है। इसके कार्य निम्नानुसार हैं

1. अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों का परीक्षण करना और अपनी अनुशंसा के साथ इसे कार्यकारिणी को भेजना। अकादमिक परिषद ऐसे किसी भी प्रस्ताव से असहमति प्रदर्शित कर सकती है अथवा प्रस्ताव को वापस अध्ययन मण्डल भेज सकती है।
2. छात्र/छात्राओं के प्रवेश के लिए नियम तैयार करना और अपनी अनुशंसा के साथ कार्यकारिणी समिति को भेजना।
3. खेलकूद, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उप नियम बनाना।
4. कार्यकारिणी समिति को संस्था के लिए नये पाठ्यक्रमों की अनुशंसा करना।
5. कार्यकारिणी समिति को छात्रवृत्ति, पुरस्कार आदि अनुशंसित करना और ऐसे पुरस्कार के लिए नियम तैयार करना।
6. महाविद्यालय की विभिन्न अकादमिक गतिविधियों जैसे अनुसंधान, अध्यापन, विस्तार कार्यक्रम आदि को समन्वित करना।
7. कार्यकारिणी को अकादमिक मुद्रों पर परामर्श देना।
8. कार्यकारिणी द्वारा निर्देशित अन्य कार्य करना।

(3) जनभागीदारी समिति :

स्वशासी महाविद्यालयों में निर्णय लेने के लिए यह सर्वोच्च इकाई है। इस समिति को विभिन्न अधिकार प्राप्त हैं और समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होता है। समिति तथा उसके कार्य निम्नानुसार हैं:-

1. स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए महाविद्यालय के लक्ष्य और दिशा निर्धारित करना और इसे सतत रूप से अद्यतन करना।
2. संस्था के लिए उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को स्वीकृति देना।
3. नए शुल्क लगाना और विभागों की अनुशंसा पर अन्य वित्तीय व्यवस्थाएं करना।
4. स्ववित्तीय निधि एवं स्वशासी मद निधि के प्रस्तावों पर चर्चा एवं अनुमोदन करना।
5. संस्था में छात्रवृत्ति, फैलोशिप, पदक पुरस्कार, प्रमाण पत्र, आदि की अकादमिक परिषद की अनुशंसा पर स्थापना करना।

(4) अन्य समितियां :

महाविद्यालय के सुचारू संचालन एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विभिन्न शैक्षणेत्तर गतिविधियों के निष्पादन हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है।



शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर
पचपेढ़ी, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.) 482001

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा घोषित विज्ञान शिक्षा का उत्कृष्टता केन्द्र, यू.जी.सी. द्वारा घोषित उत्कृष्टताक्षम महाविद्यालय, (सीपीई) यू.जी.सी. द्वारा विशेष हेरिटेज स्टेटस प्राप्त, नैक द्वारा पुनः प्रत्यायन में 'ए' ग्रेड प्राप्त, एवं डी.एस.टी. FIST ग्रांट प्राप्त

Email: hegscjab@mp.gov.in
Phone-0761-2678737

Website: www.sciencecollegejabalpur.org
Fax-0761-2621272

क्रमांक: 637 / स्था./ 2019

जबलपुर, दिनांक: 11-07-2019

आदेश

महाविद्यालय के सुचारू संचालन एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विभिन्न शैक्षणेत्तर गतिविधियों के निष्पादन हेतु सत्र 2019-20 के लिए निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है। समिति के संयोजक एवं समस्त संयोजक/प्रभारी समिति की प्रतिमाह कम से कम एक बैठक आयोजित कर बैठक के एजेंडा बिंदु/निर्णय IQAC को उपलब्ध करायेंगे। समस्त अधिकारी उन्हें सौंपे गए कार्यों का निष्पादन शैक्षणिक कालखण्डों में नहीं करेंगे। विशेष परिस्थिति में ही प्राचार्य की अनुमति से शैक्षणिक कालखण्डों में शैक्षणेत्तर कार्य निष्पादित किया जायेगा।

1. (क) प्रशासनिक एवं कार्य परिषद :-

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| प्राचार्य/अध्यक्ष | सचिव शिक्षक परिषद |
| परीक्षा नियंत्रक | प्रशासनिक अधिकारी |
| स्वशासी प्रभारी | यूजीसी योजना प्रभारी |
| प्रभारी सूचना अधिकारी | प्रभारी विधि प्रकोष्ठ |
| छात्रावास अधीक्षक (कन्या) | छात्रावास अधीक्षक (बालक) |
| क्रीड़ा अधिकारी | ग्रंथपाल |
| समस्त विभागाध्यक्ष | |

(ख) प्रातःकालीन कक्षाओं की मॉनीटरिंग :- डॉ. बी. एस. राठौर

2. संबद्धता, स्वशासी एवं विद्वत परिषद समिति :-

- | | | | |
|-------------------|--------|------------------|-------|
| डॉ. अंजलि बाजपेयी | संयोजक | डॉ. शशि तिवारी | सदस्य |
| डॉ. संजय कक्कड़ | सदस्य | डॉ. सुमन प्रभाकर | सदस्य |

3. आई.क्यू.ए.सी. समिति :— डॉ. संजय तिगनाथ डॉ. आर. के. श्रीवास्तव डॉ. एस. के. दुबे	संयोजक सदस्य सदस्य	डॉ. ज्योति श्रीवास्तव डॉ. एस. एन. शुक्ला	सदस्य सदस्य
4. महाविद्यालय अतिथि विद्वान व्यवस्था :— डॉ. आर.पी.एस. चंदेल	संयोजक	डॉ. ज्योति श्रीवास्तव	सदस्य
डॉ. एच. एन. सिंह	सदस्य	डॉ. ए. के. बागरी	सदस्य
5. समय सारिणी, फर्नीचर एवं कक्ष व्यवस्था समिति :— डॉ. अंजलि बाजपेयी डॉ. बी. एस. राठौर	संयोजक सदस्य	डॉ. रवि कटारे डॉ. ए. के. दलेला	सदस्य सदस्य
6. जनसुनवाई/जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ :— डॉ. मंजुला बाजपेयी डॉ. प्रतीक्षा गौर	संयोजक सदस्य	डॉ. ममता श्रीवास्तव डॉ. निमिशा कौर भास्मा	सदस्य सदस्य
7. सी.एम. हेल्पलाइन प्रकोष्ठ:— डॉ. संजय अवर्थी	संयोजक	डॉ. एस. के. पाण्डे	सदस्य
8. आई.टी. प्रकोष्ठ एवं बायोमैट्रिक समिति :— डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव डॉ. एस. के. दुबे	संयोजक सदस्य	डॉ. एस. एन. शुक्ला	सदस्य
9. प्रवेश समिति :— डॉ. पी. के. सेलट डॉ. एस. एन. शुक्ला	संयोजक सदस्य	डॉ. डी. के. कोष्टा डॉ. ए. के. बागरी	सदस्य सदस्य
10. एन्टी रैगिंग समिति :— डॉ. रवि कटारे डा. अंकिता बोहरे	संयोजक सदस्य	डॉ. एस. के. बाजपेयी डा. संकल्प जोगी	सदस्य सदस्य
11. अनुशासन समिति :— डॉ. प्रशांत सेलट डॉ. पी.आर.एस. चौधरी डॉ. शिखा सक्सेना डॉ. संजय अवर्थी डॉ. एस. के. सिंह	संयोजक सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य	डॉ. भारती शर्मा डॉ. रमेश शुक्ला डॉ. एम. के. रिछारिया डॉ. आई. पी. कोरी डॉ. एम. के. भारद्वाज	सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
12. शिक्षक अभिभावक योजना/विद्यार्थी उपस्थिति संकलन एवं संधारण समिति :— डा. अंजलि बाजपेयी डॉ. प्रतीक्षा गौर	संयोजक सदस्य	डॉ. मीना खन्ना डॉ. सुमन प्रभाकर	सदस्य सदस्य
13. एस.सी. एस.टी. विद्यार्थी शिकायत निवारण एवं कल्याण प्रकोष्ठ समिति :— डॉ. एम. एल. खूबचंदानी डॉ. मीनाक्षी कपूर डॉ. ए. के. बागरी	संयोजक सदस्य सदस्य	डॉ. रेखा अग्रवाल डॉ. वर्षा अगलावे डॉ. एल. एस. कुशरे	सदस्य सदस्य सदस्य
14. महिला उत्पीड़न निवारण एवं छात्रा कक्ष प्रबंधन समिति :— डॉ. मंजुला बाजपेयी डॉ. प्रतीक्षा गौर	संयोजक सदस्य	डॉ. मुदुला सिंह डॉ. मोना मरकाम	सदस्य सदस्य
15. एन.सी.सी. प्रभारी :— डॉ. जी.आर.के. साहू डॉ. अभय सिंह उइके डॉ. सुमन प्रभाकर	एन.सी.सी. (सिग्नल) एन.सी.सी. (सिग्नल) एन.सी.सी.	छात्र इकाई प्रभारी छात्र इकाई प्रभारी छात्रा इकाई प्रभारी	

16. एन.एस.एस. प्रभारी :- डॉ. डी. के. कोष्टा डॉ. रचना सॉचा	एन.एस.एस.- एन.एस.एस.-	छात्र इकाई प्रभारी छात्रा इकाई प्रभारी	
17. रेड रिबन कलब :- डॉ. रचना सॉचा	संयोजक	डॉ. मधु दुबे स्वर्णकार	सदस्य
18. छात्र संघ/परिषद् गठन :- डॉ. ए. के. बाजपेयी डॉ. राजेश चौधरी डॉ. प्रतीक्षा गौर	प्रभारी सदस्य सदस्य	डॉ. प्रशांत सेलट डॉ. एम. एल. खूबचंदानी	सदस्य सदस्य
19. स्नेह सम्मेलन, युवा उत्सव एवं सांस्कृतिक गतिविधियों समिति :- डॉ. ए. के. बाजपेयी डॉ. पी.आर.एस. चौधरी डॉ. एस. के. नागे डॉ. प्रीति डोंगरे	संयोजक सदस्य सदस्य सदस्य	डॉ. जया बाजपेयी डॉ. आर. के. श्रीवास्तव डॉ. वर्षा अगलावे	सदस्य सदस्य सदस्य
20. विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन :- डॉ. जया बाजपेयी श्री आर.पी.एस. चंदेल डॉ. अवधेश बागरी	संयोजक सदस्य सदस्य	डॉ. मनीष शर्मा डॉ. राजश्री कपूर डॉ. उषा मसराम	सदस्य सदस्य सदस्य
21. प्लेसमेन्ट प्रकोष्ठ :- डॉ. जया बाजपेयी श्री आर.पी.एस. चंदेल डॉ. एम. एल. चौहान	संयोजक सदस्य सदस्य	डॉ. मनीष शर्मा डॉ. राजश्री कपूर डॉ. डी. के. कोष्टा	सदस्य सदस्य सदस्य
22. 'पोर्स्ट मैट्रिक' एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. छात्रवृत्ति :- डॉ. राहुल मेहता डॉ. नीलिमा पैकरा डॉ. अभय सिंह उड़इके डॉ. निमिषा कौर भामरा	संयोजक सदस्य सदस्य सदस्य	डॉ. अवधेश बागरी डॉ. वर्षा अगलावे डॉ. मधु दुबे स्वर्णकार	सदस्य सदस्य सदस्य
23. अशासकीय महाविद्यालय छात्रवृत्ति प्रकरण परीक्षण एवं रिकॉर्ड संधारण – डॉ. ए. के. सिंह डॉ. एम. एल. खूबचंदानी	संयोजक सदस्य	डॉ. डी. के. कोष्टा डॉ. आर. के. पाण्डे	सदस्य सदस्य
24. गाँव की बेटी/प्रतिभा किरण/विक्रमादित्य एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना/अल्पसंख्यक/आवास सहायता/ एकीकृत/मेधावी/विकलांग/बीड़ी श्रमिक/पीएच.डी. विद्यार्थी योजना छात्रवृत्ति :- डॉ. आई. पी. कोरी डॉ. आर. के. पाण्डे डॉ. अरुण ककड़ डॉ. एम. एल. चौहान डॉ. संकल्प जोगी डॉ. मनीष शर्मा	संयोजक (आवास सहायता) सदस्य (मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, विक्रमादित्य योजना) सदस्य (मेधावी छात्र) सदस्य (प्रतिभा किरण एवं अल्प संख्यक, बीड़ी श्रमिक, पीएच.डी.) सदस्य (गाँव की बेटी, विकलांग, एकीकृत) सेन्टर सेक्टर इन्सपायर	डॉ. शीला मैथ्यूस डॉ. सुजाता कुमार डॉ. राजश्री कपूर	सदस्य सदस्य सदस्य
25. एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., अल्पसंख्यक (कमजोर छात्रों) हेतु कोचिंग कक्षाएँ :- . प्रतियोगी परीक्षाएँ : डॉ. डी. के. कोष्टा . नेट/स्लेट कोचिंग : डॉ. संजय ककड़ . रेमेडियल कोचिंग : डॉ. पी.आर.एस. चौधरी	संयोजक संयोजक संयोजक	डॉ. शीला मैथ्यूस डॉ. सुजाता कुमार डॉ. राजश्री कपूर	सदस्य सदस्य सदस्य
26. व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ :- डॉ. प्रशांत सेलट डॉ. उषा मसराम	संयोजक सदस्य	डॉ. संकल्प जोगी डॉ. रचना सॉचा	सदस्य सदस्य

27. स्वर्ण पदक अलंकरण समिति :—			
डॉ. शिखा सक्सेना	संयोजक	डॉ. संजय ककड़	सदस्य
डॉ. राजेश तिवारी	सदस्य	डॉ. प्रतीक्षा गौर	सदस्य
28. महाविद्यालयीन न्यूज बुलेटिन समिति :—			
डॉ. सुनीता शर्मा	संयोजक	डॉ. सुजाता कुमार	सदस्य
डॉ. प्रीति डोंगरे	सदस्य		
29. महाविद्यालयीन पत्रिका (ज्योतिर्मयी) :—			
प्राचार्य	संरक्षक	डॉ. राजेंद्र कुररिया	समन्वयक
डॉ. तनुजा चौधरी	संपादक (हिन्दी)	डॉ. उषा मसराम	संपादक (अंग्रेजी)
30. महाविद्यालयीन रिसर्च जर्नल (Sci-Fronts) :—			
डॉ. संजय तिगनाथ	संपादक	डॉ. शशि तिवारी	सदस्य
डॉ. एस. के. पाण्डेय	सदस्य	डॉ. एस. के. बाजपेयी	सदस्य
31. केन्द्रीय प्रयोगशाला समिति :—			
डॉ. अंजलि बाजपेयी	संयोजक	डॉ. सुनीता शर्मा	सदस्य
डॉ. राजेन्द्र कुररिया	सदस्य	डॉ. आर. के. श्रीवास्तव	सदस्य
32. महाविद्यालयीन विकास, भवन संधारण एवं भवन निर्माण समिति :—			
डॉ. पी.आर.एस. चौधरी	संयोजक	डॉ. ए. के. बाजपेयी	सदस्य
डॉ. पी. व्ही. जैन	विश्वविद्यालय प्रतिनिधि	प्रो. राजेश भाटिया	तकनीकी विशेषज्ञ
33. समेकित विकास निधि प्रबंधन :—			
डॉ. ए. एल. महोबिया, प्राचार्य	पदेन अध्यक्ष	डॉ. एस. के. बाजपेयी	सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष	पदेन सदस्य	कीड़ा अधिकारी	पदेन सदस्य
ग्रंथापाल	पदेन सदस्य	लेखापाल	पदेन सदस्य
अध्यक्ष छात्र परिषद	पदेन सदस्य	सचिव छात्र परिषद	पदेन सदस्य
विद्यार्थी प्रतिनिधि (नामांकित) सदस्य			
34. क्रय एवं अपलेखन समिति :—			
डॉ. के. एस. दुबे	संयोजक	डॉ. कार्तिक घोष	सदस्य
डॉ. पी.आर.एस. चौधरी	सदस्य	डॉ. राजेश तिवारी	सदस्य
संबंधित विभागाध्यक्ष / प्रभारी	सदस्य		
35. वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट विषयक समिति :—			
डॉ. आर. के. श्रीवास्तव	संयोजक	डॉ. ज्योति श्रीवास्तव	सदस्य
डॉ. एस. के. दुबे	सदस्य	डॉ. अंजलि बाजपेयी	सदस्य
डॉ. बी. एस. राठौर	सदस्य		
36. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) एवं नेक समिति :—			
डॉ. आर. के. श्रीवास्तव	प्रभारी	डॉ. ज्योति श्रीवास्तव	सदस्य
डॉ. एस. के. दुबे	सदस्य	डॉ. एस. एन. शुक्ला	सदस्य
37. महाविद्यालय परिसर पौध संरक्षण समिति :—			
डॉ. शशि तिवारी	संयोजक	डॉ. अंकिता बोहरे	सदस्य
डॉ. अभय सिंह उड़िके	सदस्य	डॉ. शांतिलाल भारतीय	सदस्य
38. वाहन स्टैण्ड समिति :—			
डॉ. अरुण ककड़	संयोजक	डॉ. रमेश शुक्ला	सदस्य
डॉ. एस. के. सिंह	सदस्य	डॉ. ए. के. सिंह	सदस्य
39. क्रीड़ा एवं शारीरिक विकास समिति :—			
डॉ. रमेश शुक्ला	समन्वयक	डॉ. एस. के. दुबे	सदस्य

डॉ. अरुण ककड़	सदस्य	डॉ. ए. के. सिंह	सदस्य
डॉ. सुमन प्रभाकर	सदस्य	विद्यार्थी प्रतिनिधि (नामांकित) सदस्य	
40. महाविद्यालय छात्र/छात्रा हॉस्टल :-			
श्री महेन्द्र कुमार भारद्वाज	वार्डन (छात्र हॉस्टल)		
डॉ. शिखा सक्सेना	वार्डन (छात्रा हॉस्टल)		
डॉ. विभा चौधरी	सहप्रभारी छात्रा हॉस्टल (वार्डन के अवकाश/मुख्यालय के बाहर रहने पर वार्डन का कार्य देखेंगे एवं छात्रावास के कार्यक्रमों में सहयोग.)		
41. परीक्षा प्रकोष्ठ :-			
डॉ. कार्तिक घोष	नियंत्रक	डॉ. जी.आर.के. साहू	उपनियंत्रक
डॉ. विभा चौधरी	सहायक नियंत्रक	डॉ. मीनाक्षी कपूर	सहायक नियंत्रक
डॉ. एस. के. नागे	सहायक नियंत्रक	डॉ. शीला मैथ्यूस	सहायक नियंत्रक
42. पर्यावरण एवं स्वच्छता समिति :-			
डॉ. एम. के. रिछारिया	संयोजक	डॉ. मधु दुबे स्वर्णकार	सदस्य
डॉ. एस. के. नागे	सदस्य	डॉ. शांति लाल भारतीय	सदस्य
43. सम्पत्ति विरुद्धण एवं अतिक्रमण समिति :-			
डॉ. शिखा सक्सेना	संयोजक	डॉ. रेखा अग्रवाल	सदस्य
डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय	सदस्य	श्री मुक्तेश्वर सिंह	सहयोगी कर्मचारी
44. महाविद्यालय एलमनाइट समिति :-			
डॉ. शशि तिवारी	संयोजक	डॉ. रवि कटारे	सदस्य
डॉ. जया बाजपेयी	सदस्य	डॉ. अरुण ककड़	सदस्य
डॉ. डी. के. देवलिया	सदस्य		
45. ग्रंथालय/वाचनालय समिति :-			
डॉ. मीना खन्ना	संयोजक	डॉ. नीलिमा पैकरा	सदस्य
डॉ निमिषा कौर भामरा	सदस्य	डॉ. एस. के. सिंह	सदस्य
46. आयकर निर्धारण एवं महाविद्यालयीन लेखा परीक्षण समिति :-			
डॉ. एच. एन. सिंह	संयोजक	डॉ. जी. आर. के. साहू	सदस्य
डॉ. एम. एल. चौहान	सदस्य		
टीप: समिति प्रत्येक माह में एक बार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य को प्रस्तुत करेगी।			
47. शासकीय आवास आवंटन समिति :-			
डॉ. ए. के. दलेला	संयोजक	डॉ. भारती शर्मा	सदस्य
डॉ. मोना मरकाम	सदस्य	डॉ. ममता श्रीवास्तव	सदस्य
48. सूचना के अधिकार अधिनियम :-			
डॉ. के. एस. दुबे	प्रभारी लोक सूचना अधिकारी	डॉ. एच. एन. सिंह	सहप्रभारी
49. महाविद्यालय वेबसाइट निगरानी एवं अद्यतन समिति :-			
डॉ. एस. के. दुबे	संयोजक	डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
50. प्रचार प्रसार समिति :-			
डॉ. मनीष शर्मा	संयोजक	डॉ. रमेश शुक्ला	सदस्य
51. विधि प्रकोष्ठ :-			
डॉ. लखन सिंह कुशरे	संयोजक	डॉ. अभय सिंह उइके	सदस्य
52. जनभागीदारी :-			
डॉ. संजय ककड़	संयोजक	डॉ. रचना सॉचा	सदस्य
53. केन्द्रीय भण्डार :-			
डॉ. डी. के. देवलिया	संयोजक	श्री मुक्तेश्वर सिंह	सहयोगी कर्मचारी
54. केन्द्रीय समिति :-			
डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव	संयोजक	डॉ. राहुल मेहता	सदस्य
55. महाविद्यालय वाहन प्रभारी :-			
		डॉ. एच.एन. सिंह	
56. रूसा एवं ए.आई.एस.एच.ई. रिपोर्टिंग नोडल अधिकारी :-			
		डॉ. बी. एस. राठौर	

उपरोक्त समस्त समितियों के संयोजक/प्रभारी सदस्य प्राचार्य की ओर से महाविद्यालय एवं विद्यार्थियों के उन्नयन हेतु समन्वित रूप से कार्य करेंगे।

(डॉ. ए. एल. महोबिया)
प्राचार्य

अध्याय—8 (मैन्युअल—7)
लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य
विशिष्टियाँ

Chapter – 8 (Manual – 7)
Names, Designations and Other Particulars of
the Public Information Officers

8.1 कृपया लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेट अथोरिटी के संबंध में निम्न प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करें कृपया लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेट अथोरिटी के संबंध में निम्न प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करें।

8.1. Please provide contact information about the Public Information Officers, Assistant Public Information Officers and Departmental Appellate Authority of the Public authority in the following format

लोक प्राधिकरण का नाम : शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर

Name of the Public authority: Government Science College, Jabalpur

सहायक लोक सूचना अधिकारी:

क्र	नाम	पदनाम	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	डॉ. के. एस. दुबे	प्रभारी प्राध्यापक	0761. 2678737		0761. 2621272	hegscjab@ mp.gov.in	शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर

लोक सूचना अधिकारी:

क्र	नाम	पदनाम	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	डॉ. ए. एल. महोबिया	प्राचार्य	0761 - 2678737		0761 - 2621272	hegscjab@ mp.gov.in	शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर

विभागीय अपीलीय अधिकारी :-

क्र	नाम	पदनाम	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
			कार्यालय	आवास			
1	डॉ. आर. सेम्युअल	प्राचार्य	0761 - 2678195		0761 - 2678195	hegmaccjab@ mp.gov.in	शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर

अध्याय – 9 (मैन्युअल–8)
निर्णय लेने की प्रक्रिया

Chapter – 9 (Manual – 8)
Procedure Followed in Decision Making Process

- 9.1 किसी भी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? (सचिवालय मैन्युअल और बिजीनेस मैन्युअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है।)
- 9.1 What is the procedure followed to take a decision for various matters? (A reference to secretariat Manual and Rule of Business Manual, and other rules/ regulations etc can be made)

महाविद्यालय में विभिन्न विषयों पर पृथक—पृथक निर्णय लिया जाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्धारित है।

I. अकादमिक मुद्दों पर निर्णय :

1. नये अकादमिक कार्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय
2. पाठ्यक्रम की संरचना
3. परीक्षकों के पैनल तैयार करना
4. आंतरिक मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण।

उक्त सभी निर्णय अकादमिक प्रवृत्ति के हैं और निर्णय लेने का अधिकार अध्ययन मण्डल, अकादमिक परिषद और कार्यकारिणी समिति / जनभागीदारी को है। प्रक्रिया रेखाचित्र में दर्शाई गई है।

II. परीक्षा संबंधी समस्त निर्णय : स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षा संबंधी निम्न निर्णय लिये जाते हैं :

1. परीक्षा सामग्री यथा उत्तर पुस्तिकाएं, वस्तुनिष्ठ उत्तरणों का निर्माण
2. परीक्षा की तिथियों का निर्धारण
3. परीक्षा की समय सारणी
4. परीक्षा की व्यवस्था, प्रश्न पत्रों का स्वरूप, मूल्यांकन व्यवस्था का ढांचा
5. प्रश्न पत्रों का मुद्रण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन
6. आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था
7. पूरक परीक्षा का आयोजन
8. परीक्षा में नवाचार।

स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ के मुख्य नियंत्रक महाविद्यालय के प्राचार्य होते हैं, इसके अलावा एक नियंत्रक और एक सहायक नियंत्रक नियुक्त किये जाते हैं।

III. प्रशासकीय निर्णय :

जनभागीदारी समिति से संबंधित प्रशासकीय निर्णय जनभागीदारी समिति की सामान्य सभा में और स्वशासी तंत्र से संबंधित प्रशासकीय निर्णय कार्यकारिणी में लिये जाते हैं। ऐसे निर्णय लेने के लिए ये समितियाँ वैधानिक रूप से अधिकृत हैं।

IV. अन्य प्रशासनिक निर्णय :

शासकीय महाविद्यालय होने के कारण ऐसे सभी प्रशासकीय निर्णय शासन द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं के तहत प्राचार्य और उनके कार्यालय द्वारा लिये जाते हैं इसमें शासकीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है।

निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रक्रिया का उल्लेख करें—

(1) प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रवेश पर निर्णय लेने के अधिकार

1. प्रवेश प्रक्रिया निम्न चरणों में सम्पन्न होती है।
2. राज्य शासन के स्तर पर प्रवेश नियमों का विकास
3. विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रवेश नियम महाविद्यालय को उपलब्ध होगा
4. महाविद्यालय द्वारा प्रवेश की सूचना का प्रकाशन

5. विवरणिका (Prospectus) का प्रकाशन और विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में उपलब्ध स्थानों की अधिसूचना जारी करना
 6. प्रवेश आवेदन पत्र आमंत्रित करना
 7. कक्षावार प्रवेश समिति का गठन करना
 8. आवेदित छात्र/छात्राओं को गुणानुक्रम, आरक्षण और अधिभार का लाभ देते हुए प्रवेश सूची जारी करना
 9. प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं से शुल्क लेना और उनके प्रवेश की प्रक्रिया को पूर्ण करना।
- (2) **छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया एवं निर्णय लेने के अधिकार**
शासन से प्राप्त निर्देशानुसार छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाती है।
- (3) **परीक्षा संचालन प्रक्रिया निर्णय लेने के अधिकार**
महाविद्यालय स्वशासी होने के कारण परीक्षा संचालन के समस्त अधिकार और निर्णय स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा लिये जाते हैं। प्राचार्य मुख्य नियंत्रक और प्राचार्य द्वारा मनोनीत एक वरिष्ठ शिक्षक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं इसके अलावा एक सहायक नियंत्रक और अन्य अमला इस प्रकोष्ठ का कार्य करते हैं। समस्त निर्णय अकादमिक परिषद और कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित किये जाते हैं और पूर्ण रूप से वैधानिक होते हैं।
- (4) **वार्षिकोत्सव संचालन प्रक्रिया एवं निर्णय लेने के अधिकार**
महाविद्यालय वार्षिकोत्सव छात्र परिषद परामर्शदाता द्वारा निर्धारित किया जाता है। सम्मिलित निधि समिति उपलब्ध बजट के आधार पर वार्षिकोत्सव से संबंधित निर्णय लेती है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही सदस्य के रूप में मनोनीत होते हैं।
- (5) **शासन, यूजीसी, जनभागीदारी एवं अन्य स्तरों से प्राप्त अनुदान का व्यय करने की प्रक्रिया एवं निर्णय लेने के अधिकार।**
शासन द्वारा प्राप्त अनुदान का व्यय शासकीय नियमों के तहत और उन्हीं मदों में किया जाता है जिसके लिए प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न योजनाओं के तहत महाविद्यालय द्वारा अपने आवेदन दिये जाते हैं और स्वीकृत होने पर स्वीकृति पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित मद में व्यय किया जाता है। राशि व्यय करने के बाद इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा जाता है।
जनभागीदारी समिति से प्राप्त राशि का व्यय जनभागीदारी समिति की वित्त समिति, प्रबंध समिति और सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदित मदों में किया जाता है। इसके लिये एक बजट बनाया जाता है, बजट वित्त समिति द्वारा पारित होता है और इसे प्रबंध समिति अपनी अनुशंसा के साथ सामान्य परिषद को भेजा जाता है। सामान्य परिषद बजट को पारित करती है और पारित बजट पर मदवार व्यय करने के लिए प्राचार्य को समिति द्वारा अधिकृत किया जाता है। विशिष्ट मदों में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष की सहमति ली जाती है।
- 9.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या हैं अथवा निर्णय लेने के लिये किस—किस स्तरों पर विचार किया जाता है?
- 9.2 What are the documented procedures/laid down procedures / Defined Criteria / Rules to arrive at a particular decision for important matters? What are different levels through which a decision process moves?
- कंडिका 9.1 के अनुसार निर्णय लेने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है निर्णय लेने के लिए निम्नानुसार स्तर निर्धारित हैं—
- विभिन्न वैधानिक समितियों के माध्यम से निर्णय लिये जाते हैं।
 - कंडिका 9.1 में जो प्रक्रिया वर्णित की गई है उसे किन—किन स्तरों पर प्रक्रिया के दौरान भेजा जाता है अर्थात प्रक्रिया की चैनल का विवरण। निर्णयक स्तरों पर वरीयता क्रम में भेजा जाता है।
 - उक्त वर्णित विषयों के अलावा महाविद्यालय में अन्य विषयों पर निर्णय लेने के लिए एक नियोजन और अनुवीक्षण समिति बनाई जाती है। यह समिति महाविद्यालय की विभिन्न आवश्यकताओं का आंकलन करती

है और उसके आधार पर अपनी अनुशंसा प्राचार्य को देती है। प्राचार्य इस अनुशंसा पर उपलब्ध बजट सीमा में आवश्यक निर्णय लेती है। इसमें विभिन्न प्रकार की अधोसंरचनाओं का निर्माण, विभिन्न विषयों की तकनीकि आवश्यकताओं की पूर्ति और विशिष्ट व्यवस्थाओं को स्थापित करने संबंधी निर्णय सम्मिलित है। स्टाफ काउंसिल/विभिन्न वैधानिक समितियों के परामर्श पर प्राचार्य निर्णय लेते हैं।

9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिये क्या व्यवस्था है?

9.3 What are the arrangements to communicate the decision to the public?

- महाविद्यालय की वार्षिक विवरणिका के माध्यम से
- महाविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से
- महाविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के माध्यम से
- छात्र/छात्राओं और शिक्षकों के माध्यम से।

9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति, निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है ?

9.4 Who are the officers at various levels whose opinions are sought for the process of decisionmaking?

महाविद्यालय संचालन की किन-किन प्रक्रियाओं में उच्च स्तर के अधिकारियों की अनुमति अथवा अनुशंसा की आवश्यकता होती है –

क्र	विषय/प्रक्रिया जिनमें उच्च अधिकारियों की अनुमति की आवश्यकता होती है,	उच्च अधिकारी का पदनाम
1	जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष का मनोनयन।	उच्च शिक्षा विभाग
2	प्राचार्य को प्रदत्त परिसीमा से अधिक के क्रय करने की अनुमति	आयुक्त, उच्च शिक्षा
3	नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति	आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग एवं कुलपति विश्वविद्यालय
4	राज्य से बाहर शैक्षणिक भ्रमण ले जाने की अनुमति	आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग
5	टीचर फैलोशिप पर की गई वैकल्पिक नियुक्ति की पुष्टि	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
6	स्वशासी महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति में मनोनयन	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग

9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी ।

9.5 Who is the final authority that wets the decision?

प्रक्रियावार अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकारी का नाम दिया जाए। सभी विषयों में अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा और आयुक्त, उच्च शिक्षा अधिकृत हैं ।

9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

9.6 Please provide information separately in the following format for the important matters on which the decision is taken by the public authority.

क्र	विषय जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है	दिशा—निर्देश (यदि हो तो)	निर्णय लेने की प्रक्रिया	निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	निर्णय के विरुद्ध कहाँ और कैसे अपील करें
1	प्रवेश संबंधी कार्य	शासन / विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश	दिशा निर्देश में दिये गये आधार पर	प्रवेश समिति गठित की जाती है।	निर्णय के विरुद्ध प्राचार्य के पास अपील की जा सकती है
2	छात्रसंघ चुनाव संबंधी कार्य	शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत	प्राचार्य, और संबंधित अधिकारी	प्राचार्य, और छात्रसंघ संबंधित अधिकारी	प्राचार्य अथवा आयुक्त उच्च शिक्षा के पास
3	स्वशासी परीक्षाएं	स्वशासी परीक्षा संचालन नियम	स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा निर्णय लिये जाते हैं	नियंत्रक और उनका दल	प्राचार्य से अपील की जा सकती है ।
4	विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं	विश्वविद्यालय अध्यादेश—5 और 6 के तहत	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के तहत	परीक्षा संचालन से जुड़े हुए शिक्षक	कुलसंविव
5	वार्षिकोत्सव एवं युवा उत्सव	शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत	प्राचार्य, और संबंधित अधिकारी	प्राचार्य, और छात्रसंघ समिति	प्राचार्य अथवा आयुक्त उच्च शिक्षा के पास
6	स्ववित्तीय आधार पर नए विषय/ नए पाठ्यक्रम	अध्ययन मण्डल द्वारा निर्धारित किये पाठ्यक्रम के आधार पर	शासन की अनुमति और विश्वविद्यालय से सम्बद्धता	प्राचार्य, और संबंधित विषय के प्राध्यापकों से	प्राचार्य, संबंधित विश्वविद्यालय अथवा आयुक्त उच्च शिक्षा
7	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त राशि का व्यय	विश्वविद्यालय अनुदान की मार्गदर्शिका के अनुसार	महाविद्यालय के प्राचार्य एवं यू.जी.सी. प्रभारी	प्राचार्य, मुख्य लिपिक एवं लेखापाल	यू.जी.सी. मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
8	शासन से प्राप्त राशि का व्यय	शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर	प्राचार्य अथवा रजिस्ट्रार	प्राचार्य, मुख्य लिपिक एवं लेखापाल	आयुक्त, उच्च शिक्षा
9	जनभागीदारी में उपलब्ध राशि का व्यय	जनभागीदारी समिति के शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव	जनभागीदारी समिति के सम्माननीय पदाधिकारी	अध्यक्ष जनभागीदारी समिति, प्राचार्य अथवा प्रमुख सचिव, उच्चशिक्षा

अध्याय–10 (मैन्युअल–9)
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

Chapter – 10 (Manual – 9)
Directory of Officers and Employees

10.1 कृपया जानकारी महाविद्यालयवार निम्न प्रारूप में दें—

10.1 Please provide the college information in following format-

S. N.	Name	Designation	Subject	Contact Number	email ID
1	Dr. Anandilal Mahobia	Principal	Principal	9425383562	dranandilal.mahobia@mp.gov.in
2	Dr. Abhay Singh Uike	Assistant Professor	Botany	9424624545	drabhaysingh.uike@mp.gov.in
3	Dr. Ishwari Prasad Kori	Associate Professor	Botany	9826259546	drishwariprasad.kori@mp.gov.in
4	Dr. Kartik Ghosh	Professor	Botany	9926609166	drkartik.ghosh@mp.gov.in
5	Dr. Neelima Raipuria	Professor	Botany	9425860806	drneelima.raipuria@mp.gov.in
6	Dr. Preeti Bala Dongre	Assistant Professor	Botany	9752414510	drpreetibala.dongre@mp.gov.in
7	Dr. Shashi Tiwari	Professor	Botany	9425384745	drshashi.tiwari@mp.gov.in
8	Dr. Ajeet Kumar Singh	Associate Professor	Chemistry	9893688154	drajeetkumar.singh@mp.gov.in
9	Dr. Anil Kumar Bajpai	Associate Professor	Chemistry	9425325699	dranilkumar.bajpai@mp.gov.in
10	Dr. Anjali Bajpai	Professor	Chemistry	7898173205	dranjali.bajpai@mp.gov.in
11	Dr. Arun Kakkar	Associate Professor	Chemistry	9424927363	drarun.kakkar@mp.gov.in
12	Dr. Devendra Kumar Kosta	Assistant Professor	Chemistry	9977149150	drdevendrak.kosta@mp.gov.in
13	Dr. Jaya Bajpai	Professor	Chemistry	9425151502	drjaya.bajpai@mp.gov.in
14	Dr. Jyoti Shrivastava	Professor	Chemistry	9424307373	drjyoti.shrivastava@mp.gov.in
15	Dr. Krishna Swaroop Dubey	Professor	Chemistry	9424977080	drkrishnas.dubey@mp.gov.in
16	Dr. Madhu Dubey Swarnkar	Assistant Professor	Chemistry	9826160167	drmadhud.swarnkar@mp.gov.in
17	Dr. Mamta Shrivastava	Professor	Chemistry	9425163232	shrivastava.drmamta@mp.gov.in
18	Dr. Manish Sharma	Professor [Dir]	Chemistry	9826503184	he.drmanishsharma@mp.gov.in
19	Dr. Manjula Bajpai	Professor	Chemistry	9425483841	drmanjula.bajpai@mp.gov.in
20	Dr. Manohar Lal Khubchandani	Professor	Chemistry	9826666084	drml.khoobchandani@mp.gov.in
21	Dr. Mona Markam	Assistant Professor	Chemistry	9425473473	drmona.markam@mp.gov.in
22	Dr. Nimisha Kaur Bhamra	Assistant Professor	Chemistry	9691657867	drnimishakaur.bhamra@mp.gov.in
23	Dr. Pavan Shanker Tiwari	Associate Professor	Chemistry	9926186489	drpawans.tiwari@mp.gov.in
24	Dr. Pratiksha Gaur (Shukla)	Professor	Chemistry	9301121031	he.drpratikshashukla@mp.gov.in
25	Dr. Rachna Sancha (Daniel)	Assistant Professor	Chemistry	9770006695	he.drrachnadaniel@mp.gov.in
26	Dr. Satyendra Nath Shukla	Professor	Chemistry	9424657148	drsatyendra.shukla@mp.gov.in

27	Dr. Sheela Mathews	Assistant Professor	Chemistry	9424321276	drsheela.mathews@mp.gov.in
28	Dr. Smt. Shikha Saxena	Professor	Chemistry	9425325697	drshikha.saxena@mp.gov.in
29	Dr. Suman Prabhakar	Assistant Professor	Chemistry	9425473473	drsuman.prabhakar@mp.gov.in
30	Dr. Sunil Kumar Bajpayee	Professor	Chemistry	9993220651	drsunilk.bajpayee@mp.gov.in
31	Dr. Sushil Kumar Singh	Associate Professor	Chemistry	9406859213	drsushilkumar.singh@mp.gov.in
32	Shri Madhur Tiwari	Assistant Professor	English	9826432944	madhur.tiwari@mp.gov.in
33	Dr. Rajshree Roselean Kapoor	Assistant Professor	English	9926687820	drrajshreer.kapoor@mp.gov.in
34	Dr. Sankalp Jogi	Assistant Professor	English	8871555551	drsankalp.jogi@mp.gov.in
35	Dr. Sujata Kumar	Associate Professor	English	9893979580	drsjata.kumar@mp.gov.in
36	Dr. Usha Masram	Assistant Professor	English	9926266147	drusha.masram@mp.gov.in
37	Dr. Ratna Kumar Shrivastava	Professor	Env. Science	9425389189	drratna.kshrivastava@mp.gov.in
38	Dr. Bharat Singh Rathore	Professor	Geology	9424604250	drbharats.rathore@mp.gov.in
39	Dr. Devendra Kumar Deolia	Professor	Geology	9425387473	devendra.kdeolia@mp.gov.in
40	Dr. Meenakshi Martin Kapoor	Associate Professor	Geology	9407337198	drmeenakshim.kapoor@mp.gov.in
41	Dr. Sanjay Tignath	Professor	Geology	9425163066	drsanjay.tignath@mp.gov.in
42	Dr. Shantilal Bhartia	Assistant Professor	Geology	9425470002	drshantilal.bhartia@mp.gov.in
43	Dr. Sunil Kumar Nage	Assistant Professor	Geology	9329764288	drsunilkumar.nage@mp.gov.in
44	Dr. Mridula Singh	Professor	Hindi	7566232064	drmridula.singh@mp.gov.in
45	Dr. Tanuja Choudhary	Professor	Hindi	9425387990	drtanuja.choudhary@mp.gov.in
46	Dr. Vibha Mishra	Professor	Hindi	8085407565	drvibha.mishra@mp.gov.in
47	Dr. Anil Kumar Dalela	Professor	Mathematics	9424307957	dranilkumar.dalela@mp.gov.in
48	Dr. Giriraj Kishore Sahu	Associate Professor	Mathematics	9893082604	drgirirajk.sahu@mp.gov.in
49	Shri Hriday Narayan Singh	Assistant Professor	Mathematics	9993217022	hridaynarayan.singh@mp.gov.in
50	Dr. Meena Khanna	Professor	Mathematics	9424767976	drmeena.khanna@mp.gov.in
51	Dr. Pushpraj Singh Choudhary	Associate Professor	Mathematics	9425151073	drps.choudhary@mp.gov.in
52	Shri R P S Chandel	Assistant Professor	Mathematics	8989890750	he.rpschandel@mp.gov.in
53	Dr. Rajendra Pandey	Professor	Mathematics	9826618202	drrajendra.pandey@mp.gov.in
54	Dr. Rajesh Kumar Tiwari	Associate Professor	Mathematics	9425862699	drrajeshkumar.tiwari@mp.gov.in
55	Dr. Bharati Sharma	Professor [Dir]	Military Science	9300317471	drbharati.sharma@mp.gov.in

56	Dr. Lakhan Singh Kushre	Assistant Professor	Military Science	9098474608	drlakhansingh.kushre@mp.gov.in
57	Dr. Avadhesh Kumar Bagri	Assistant Professor	Physics	9425868311	dravdheshk.bagri@mp.gov.in
58	Dr. Mahendra Kumar Bhardwaj	Assistant Professor	Physics	9926408897	drmahendrak.bhardwaj@mp.gov.in
59	Dr. Mahendra Kumar Richharia	Professor	Physics	9425163418	drmk.richharia@mp.gov.in
60	Dr. Mansukh Lal Chauhan	Associate Professor	Physics	9424321073	drmansukhlal.chauhan@mp.gov.in
61	Dr. Prashant Kumar Selot	Professor	Physics	9424913194	drprashant.kselot@mp.gov.in
62	Dr. Rahul Mehta	Professor	Physics	9893407117	drrahul.mehta@mp.gov.in
63	Dr. Rajendra Kumar Kuraria	Professor	Physics	9425363308	drrajendrak.kuraria@mp.gov.in
64	Dr. Ravi Katare	Professor	Physics	9425153690	drravi.katare@mp.gov.in
65	Dr. Rekha Agrawal	Professor [Dir]	Physics	9826289019	drrekha.agrawal@mp.gov.in
66	Dr. Sanjay Kakkar	Professor	Physics	9827358560	drsanjay.kakkar@mp.gov.in
67	Dr. Sanjay Kumar Awasthi	Associate Professor	Physics	9425356904	he.drsanjaykawasthi@mp.gov.in
68	Dr. Shailendra Kumar Shrivastava	Associate Professor	Physics	9407821922	drsk.shrivastava@mp.gov.in
69	Dr. Surendra Kumar Pandey	Professor [Dir]	Physics	9425161379	drsurendrak.pandey@gmail.com
70	Dr. Sushil Kumar Dubey	Professor	Physics	9424676837	drsushil.kdubey@mp.gov.in
71	Dr. Vibha Chaudhary	Assistant Professor	Physics	9770243360	drvibha.chaudhary@mp.gov.in
72	Dr. Ankita Bohare	Professor [Dir]	Zoology	7354690001	drankita.bohare@mp.gov.in
73	Dr. Jayshree Sharma	Professor	Zoology	9752602706	drjayshree.sharma@mp.gov.in
74	Dr. Neelima Painkra	Associate Professor	Zoology	8085407814	drneelima.painkra@mp.gov.in
75	Dr. Sunita Sharma	Professor	Zoology	9893784886	sharma.drsunita@mp.gov.in
76	Dr. Varsha Aglawe	Associate Professor	Zoology	9826632105	drvarsha.aglawe@mp.gov.in
77	Dr. Ramesh Prasad Shukla	Sports Officer	Sports	9826283932	ramesh.pshukla@mp.gov.in
78	Shri Omkarnath Dubey	Sports Officer	Sports	9425858816	onkarnath.dubey@mp.gov.in
79	Smt. Krishna Ghosh	Librarian	Library	9425829456	he.krishnaghosh@mp.gov.in

List of Non teaching employees

1	Rekha Burde	Hostal maneger	47	Shri Sunil Kumar Baiga	Lab Attendant
2	Shri Jagdeesh Prasad Gupta	Asst. Grade II	48	Shri Subhas Mehto	Lab Attendant
3	Shri Mukesh Chaturvedi	Asst. Grade III	49	Shri Surendra Kumar Dholpuri	Lab Attendant
4	Shri Nageen Chand Sonkar	Asst. Grade III	50	Shri Prem Chand Sahu	Lab Attendant
5	Ku. Shivani Bhagat	Asst. Grade III	51	Shri Om Prakash Dhurve	Lab Attendant
6	Shri Shushant Shukla	Asst. Grade III	52	Ku. Bharti Gond	Lab Attendant
7	Ku. Osheen Mehra	Asst. Grade III	53	Ku Shakuntala Bharti	Lab Attendant

8	Shri Mahendra Nath Kashyap	Carpenter	54	Smt. Minakshi Kushwaha	Lab Attendant
9	Smt. Rajani Suri	lab Technician	55	Shri Manish Kumar Namdeo	Lab Attendant
10	Shri Manjeet Singh Khatri	lab Technician	56	Dharmendra Kumar Patel	Lab Attendant
11	Smt. Leela Baghel	lab Technician	57	Shri Raj Roop Kushwaha	Section Cutter
12	Smt. Rosamma Singh	lab Technician	58	Shri Man Bahadur	Peon
13	Shri Mukteshwar Singh	lab Technician	59	Shri Sanjay Babbar	Peon
14	Shri S. K. Uddey	lab Technician	60	Smt. Vidyawati Danial	Peon
15	Shri Mohan Lal Sharma	lab Technician	61	Shri Mahendra Singh Thakur	Farrash
16	Shri Sukhdev Singh Jhariya	lab Technician	62	Shri Shiv Prasad Mishra	Farrash
17	Shri Bhawani Prasad Nema	lab Technician	63	Shri Roop Narayan Shukla	Farrash
18	Ku. Chandrawati Paraste	lab Technician	64	Shri Bir Singh	Farrash
19	Smt. Sandhya Jaiswal	lab Technician	65	Shri Mangal Prasad Raikwar	Farrash
20	Smt. Saraswati Lakhera	lab Technician	66	Shri Ashok Kumar Yadav	Farrash
21	Shri Ravidarshan Chouksey	lab Technician	67	Shri Ashok Mishra	Farrash
22	Smt. Vibha Shripal	lab Technician	68	Smt. Premwati Baman	Farrash
23	Ku. Shilpa Pal	lab Technician	69	Smt. Kamla Gavande	Lab Servant
24	Ku. Bhagwati Markam	lab Technician	70	Shri Ghanshyam Patel	Lab Servant
25	Shri Ashok Dubey	Glass Blower	71	Shri Mannu Lal Kushwaha	Book Lifter
26	Shri Rajesh Kumar Parte	Lab Attendant	72	Smt. Sharda Bai Thakur	Lab Servant
27	Shri Rajesh Kumar Pandey	Lab Attendant	73	Shri. Sharda Prasad Gond	Pump Attendant
28	Shri Lalit Kumar Dubey	Lab Attendant	74	Shri Gautam Prasad Choudhary	Hostel Servant
29	Shri Tulsi Mohan Rai	Lab Attendant	75	Shri Ajay Singh	Hostel Servant
30	Shri Brijesh Shrivastava	Lab Attendant	76	Shri Raj Kumar Gond	Hostel Servant
31	Shri Pramod Kumar Dwivedi	Lab Attendant	77	Shri Sunil Dutt Dubey	Hostel Servant
32	Shri Rupesh Kumar Tripathi	Lab Attendant	78	Shri Ram Siya Kushwaha	Choukidar
33	Shri Raj Gopalan Pillay	Lab Attendant	79	Shri Jugal Kishor Choubey	Choukidar
34	Shri Ramshushil Kori	Lab Attendant	80	Shri Mundrika Prasad Sen	Mali
35	Shri Kashi Ram Dhurvey	Lab Attendant	81	Smt. Gopi Bai	Sweeper
36	Shri Sushil Kumar Kashyap	Lab Attendant	82	Shri Shiv Nath	Sweeper
37	Shri Dwarka Prasad Vishwakarma	Lab Attendant	83	Shri Vinod Kumar	Sweeper
38	Smt. Rashmi Mishra	Lab Attendant	84	Shri Mahendra Malik	Sweeper
39	Shri Sunil Khare	Lab Attendant	85	Shri Laxmi Prasad	Sweeper
40	Shri Shashikant Dubey	Lab Attendant	86	Shri Mihi Lal Marko	Hostel Barau
41	Shri Ram Sahay Kushwaha	Lab Attendant	87	Shri Siddhu Lal Maravi	Garden Mazdoor
42	Shri Devi Ram Dhurvey	Lab Attendant	88	Shri Chhote Lalbhumiya	Garden Mazdoor
43	Shri Om Prakash Sondhiya	Lab Attendant	89	Ku. Rukmani Bai	Garden Mazdoor
44	Shri Gopal Prasad Chakrawarty	Lab Attendant	90	Shri Rajesh Kumar	Sweeper
45	Shri Sanjay Sonkar	Lab Attendant	91	Shri Dheeraj Kumar Natha	Sweeper
46	Shri Santoshram Sarathe	Lab Attendant			

अध्याय—11 (मैन्युअल—10)
प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा
मासिक पारिश्रमिक और उसके
निर्धारण की पद्धति

Chapter – 11 (Manual – 10)
The Monthly Remuneration Received by Each
of its Officers and Employees Including the
System of Compensation as Provided in
Regulations

11.1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में दे।

11.1 Please provide information in following format

Salary Month of Dec. 2019

S. N.	Name	Designation	Gross Salary
1	Dr. Anandilal Mahobia	Principal	183236.00
2	Dr. Anil Kumar Dalela	Promoted Professor	223205.00
3	Dr. Anjali Bajpai	Promoted Professor	209776.00
4	Dr. Arun Kakkar	Promoted Professor	216763.00
5	Dr. Bharat Singh Rathore	Promoted Professor	209776.00
6	Dr. Devendra Kumar Deolia	Promoted Professor	210438.00
7	Dr. Jaya Bajpai	Promoted Professor	216048.00
8	Dr. Jayshree Sharma	Promoted Professor	223205.00
9	Dr. Jyoti Shrivastava	Promoted Professor	223267.00
10	Dr. Kartik Ghosh	Promoted Professor	210438.00
11	Dr. Krishan Swaroop Dubey	Promoted Professor	223205.00
12	Dr. Mahendra Kumar Richhariya	Promoted Professor	229878.00
13	Dr. Mamta Shrivastava	Promoted Professor	216048.00
14	Dr. Manjula Bajpai	Promoted Professor	216048.00
15	Dr. Manohar Lal Khoobchandani	Promoted Professor	216763.00
16	Dr. Manshukh Lal Chouhan	Promoted Professor	223205.00
17	Dr. Meena Khanna	Promoted Professor	222544.00
18	Dr. Mridula Singh	Promoted Professor	197680.00
19	Dr. Neelima Raipuria	Promoted Professor	216763.00
20	Dr. Prasant Kumar Selot	Promoted Professor	222544.00
21	Dr. Prateeksha Gaur	Promoted Professor	216048.00
22	Dr. Rahul Mehta	Promoted Professor	223205.00
23	Dr. Rajendra Kumar Kurariya	Promoted Professor	216048.00
24	Dr. Rajendra Kumar Pandey	Promoted Professor	191968.00
25	Dr. Ratna Kumar Shrivastava	Promoted Professor	209776.00
26	Dr. Ravi Katare	Promoted Professor	216048.00
27	Dr. Sanjay Kakkar	Promoted Professor	223205.00
28	Dr. Sanjay Tignath	Promoted Professor	222544.00
29	Dr. Satyendra Nath Shukla	Promoted Professor	223279.00
30	Dr. Shailendra Shrivastava	Promoted Professor	210438.00
31	Dr. Shashi Tiwari	Promoted Professor	216763.00
32	Dr. Smt. Shikha Saxena	Promoted Professor	216048.00
33	Dr. Sunil Kumar Bajpai	Promoted Professor	210438.00
34	Dr. Sunita Sharma	Promoted Professor	223205.00
35	Dr. Sushil Kumar Dubey	Promoted Professor	216763.00
36	Dr. Tanuja Choudhary	Promoted Professor	209776.00
37	Dr. Varsha Aglave	Promoted Professor	198398.00
38	Dr. Vibha Mishra	Promoted Professor	216763.00
39	Dr. Ankita Bohare	Professor (Dir)	186865.00
40	Dr. Bharti Sharma	Professor (Dir)	198688.00
41	Dr. Manish Sharma	Professor (Dir)	217914.00
42	Dr. Rekha Agrawal	Professor (Dir)	205434.00

43	Dr. Surendra Kumar Pandey	Professor (Dir)	192864.00
44	Dr. Ajit Kumar Singh	Associate Professor	204502.00
45	Dr. Anil Kumar Bajpai	Associate Professor	216763.00
46	Dr. Giriraj Kishor Sahu	Associate Professor	216785.00
47	Dr. Ishwari Prasad Kori	Associate Professor	204900.00
48	Dr. Meenakshi Martin	Associate Professor	216785.00
49	Dr. Neelima Painkra	Associate Professor	198379.00
50	Dr. Pawan Shankar Tiwari	Associate Professor	204467.00
51	Dr. Pushpraj Singh Choudhary	Associate Professor	229264.00
52	Dr. Rajesh Kumar Tiwari	Associate Professor	216763.00
53	Dr. Sanjay Kumar Awasthi	Associate Professor	204303.00
54	Dr. Sujata Kumar	Associate Professor	210561.00
55	Dr. Sunil Kumar Nage	Associate Professor	198978.00
56	Dr. Sushil Kumar Singh	Associate Professor	210419.00
57	Dr. Abhay Singh Uike	Assistant Professor	106848.00
58	Dr. Avadhesh Bagri	Assistant Professor	156128.00
59	Dr. Lakhman Singh Kushre	Assistant Professor	106848.00
60	Dr. Madhu Dubey Swarnkar	Assistant Professor	101140.00
61	Dr. Mahendra Bhardwaj	Assistant Professor	106848.00
62	Dr. Mona Markam	Assistant Professor	106848.00
63	Dr. Nimisha Kour Bhamra	Assistant Professor	101020.00
64	Dr. Preeti Dongre	Assistant Professor	116704.00
65	Dr. Rachna Sancha	Assistant Professor	113801.00
66	Dr. Rajshree R Saberio	Assistant Professor	169610.00
67	Dr. Sankalp Jogi	Assistant Professor	70560.00
68	Dr. Sheela Mathews	Assistant Professor	113800.00
69	Dr. Usha Masram	Assistant Professor	110438.00
70	Dr. Suman Prabhakar	Assistant Professor	106848.00
71	Dr. Vibha Choudhary	Assistant Professor	89376.00
72	Shri H. Narayan Singh	Assistant Professor	210438.00
73	Shri Madhur Tiwari	Assistant Professor	216763.00
74	Shri R. P. S. Chandel	Assistant Professor	216763.00
75	Dr. Devendra Kumar Kosta	Assistand Professor	116949.00
76	Dr. Shanti Lal Bhartiya	Assistand Professor	107062.00
77	Dr. Ramesh Shukla	Sports Officer	210420.00
78	Shri Omkarnath Dubey	Sports Officer	188241.00
79	Smt. Krishna Ghosh	Librarian	170873.00
80	Smt. Rekha Burde	Hostal maneger	58570.00
81	Shri Jagdeesh Prasad Gupta	Asst. Grade II	53487.00
82	Shri Mukesh Chaturvedi	Asst. Grade III	47688.00
83	Shri Nageen Chand Sonkar	Asst. Grade III	38461.00
84	Ku. Shivani Bhagat	Asst. Grade III	22798.00
85	Shri Shushant Shukla	Asst. Grade III	22798.00
86	Ku. Osheen Mehra	Asst. Grade III	22798.00
87	Shri Mahendra Nath Kashyap	Carpenter	43655.00
88	Smt. Rajani Suri	lab Technician	55823.00
89	Shri Manjeet Singh Khatri	lab Technician	62771.00

90	Smt. Leela Baghel	lab Technician	60946.00
91	Smt. Rosamma Singh	lab Technician	57500.00
92	Shri Mukteshwar Singh	lab Technician	57620.00
93	Shri S. K. Uddey	lab Technician	43306.00
94	Shri Mohan Lal Sharma	lab Technician	45950.00
95	Shri Sukhdev Singh Jhariya	lab Technician	44552.00
96	Shri Bhawani Prasad Nema	lab Technician	44616.00
97	Ku. Chandrawati Paraste	lab Technician	44776.00
98	Smt. Sandhya Jaiswal	lab Technician	37272.00
99	Smt. Saraswati Lakhhera	lab Technician	38451.00
100	Shri Ravidarshan Chouksey	lab Technician	37272.00
101	Smt. Vibha Shripal	lab Technician	38451.00
102	Ku. Shilpa Pal	lab Technician	38451.00
103	Ku. Bhagwati Markam	lab Technician	31224.00
104	Shri Ashok Dubey	Glass Blower	56648.00
105	Shri Rajesh Kumar Parte	Lab Attendant	38910.00
106	Shri Rajesh Kumar Pandey	Lab Attendant	42429.00
107	Shri Lalit Kumar Dubey	Lab Attendant	41171.00
108	Shri Tulsi Mohan Rai	Lab Attendant	40037.00
109	Shri Brijesh Shrivastava	Lab Attendant	41175.00
110	Shri Pramod Kumar Dwivedi	Lab Attendant	41175.00
111	Shri Rupesh Kumar Tripathi	Lab Attendant	40037.00
112	Shri Raj Gopalan Pillay	Lab Attendant	41194.00
113	Shri Ramshushil Kori	Lab Attendant	40030.00
114	Shri Kashi Ram Dhurwney	Lab Attendant	40030.00
115	Shri Sushil Kumar Kashyap	Lab Attendant	38778.00
116	Shri Dwarka Prasad Vishwakarma	Lab Attendant	39078.00
117	Smt. Rashmi Mishra	Lab Attendant	38778.00
118	Shri Sunil Khare	Lab Attendant	38616.00
119	Shri Shashikant Dubey	Lab Attendant	37658.00
120	Shri Ram Sahay Kushwaha	Lab Attendant	43714.00
121	Shri Devi Ram Dhurvey	Lab Attendant	35382.00
122	Shri Om Prakash Sondhiya	Lab Attendant	42465.00
123	Shri Gopal Prasad Chakrawarty	Lab Attendant	40037.00
124	Shri Sanjay Sonkar	Lab Attendant	38778.00
125	Shri Santoshram Sarathe	Lab Attendant	40055.00
126	Shri Sunil Kumar Baiga	Lab Attendant	35382.00
127	Shri Subhas Mehto	Lab Attendant	42430.00
128	Shri Surendra Kumar Dholpuri	Lab Attendant	39898.00
129	Shri Prem Chand Sahu	Lab Attendant	42453.00
130	Shri Om Prakash Dhurvey	Lab Attendant	33290.00
131	Ku. Bharti Gond	Lab Attendant	32282.00
132	Ku Shakuntala Bharti	Lab Attendant	30490.00
133	Smt. Minakshi Kushwaha	Lab Attendant	27434.00
134	Shri Manish Kumar Namdeo	Lab Attendant	26624.00
135	Shri Dharmendra Kumar Patel	Lab Attendant	26624.00
136	Shri Raj Roop Kushwaha	Section Cutter	36667.00

137	Shri Man Bahadur	Peon	26570.00
138	Shri Sanjay Babbar	Peon	33514.00
139	Smt. Vidyawati Danial	Peon	35637.00
140	Shri Mahendra Singh Thakur	Farrash	35639.00
141	Shri Shiv Prasad Mishra	Farrash	36683.00
142	Shri Roop Narayan Shukla	Farrash	35622.00
143	Shri Bir Singh	Farrash	30042.00
144	Shri Mangal Prasad Raikwar	Farrash	34522.00
145	Shri Ashok Kumar Yadav	Farrash	36684.00
146	Shri Ashok Mishra	Farrash	38554.00
147	Smt. Premwati Baman	Farrash	36667.00
148	Smt. Kamla Gavande	Lab Servant	32867.00
149	Shri Ghanshyam Patel	Lab Servant	35530.00
150	Shri Mannu Lal Kushwaha	Book Lifter	36647.00
151	Smt. Sharda Bai Thakur	Lab Servant	25061.00
152	Shri. Sharda Prasad Gond	Pump Attendant	41058.00
153	Shri Gautam Prasad Choudhary	Hostel Servant	28310.00
154	Shri Ajay Singh	Hostel Servant	34499.00
155	Shri Raj Kumar Gond	Hostel Servant	34499.00
156	Shri Sunil Dutt Dubey	Hostel Servant	33484.00
157	Shri Ram Siya Kushwaha	Choukidar	34522.00
158	Shri Jugal Kishor Choubey	Choukidar	35537.00
159	Shri Mundrika Prasad Sen	Mali	35537.00
160	Smt. Gopi Bai	Sweeper	35530.00
161	Shri Shiv Nath	Sweeper	34522.00
162	Shri Vinod Kumar	Sweeper	35537.00
163	Shri Mahendra Malik	Sweeper	35537.00
164	Shri Laxmi Prasad	Sweeper	35537.00
165	Shri Mihi Lal Marko	Hostel Barau	33514.00
166	Shri Siddhu Lal Maravi	Garden Mazdoor	35537.00
167	Shri Chhote Lalbhumiya	Garden Mazdoor	35537.00
168	Ku. Rukmani Bai	Garden Mazdoor	34749.00
169	Shri Rajesh Kumar	Sweeper	21646.00
170	Shri Dheeraj Kumar Natha	Sweeper	20970.00

अध्याय—12 (मैन्युअल—11)
प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा
धन वितरण की सूचना)

Chapter – 12 (Manual – 11)
The Budget Allocated to Each Agency
(Particulars of All Plans, Proposed Expenditures
and Reports on Disbursement Made)

12.1 महाविद्यालय को शासन द्वारा आवंटित बजट का व्यौरा :—

12.1 Details of budget allotted to college by the State Government:-

शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय (स्वशासी), जबलपुर . मध्यप्रदेश को शासन द्वारा आवंटित बजट का व्यौरा :

Demand No. : 44 Higher Education Section 1 – Revenue Section
 Major Head : 2202 General Education
 Sub Major Head : 03 University & Higher Education
 Minor Head : 103 Government Colleges & Institutes
 Scheme : 0798 कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय
 Segment : 0101 Non Plan

S. No.	Head	Proposed Budget	Sanctioned Budget	Amount Released / Disbursed (No. of Instalments)	Total Expenditure
1	# 11 Salaries & Allowances				
	001 Salary		82300482.		82300482.
	003 Dearness Allowance		86945616.		86945616.
	004 Conveyance Allowance		181300.		181300.
	006 House Rent Allowance		4858491.		4858491.
	007 City Compensat Allowance		0.		0.
	008 Other Allowances		56591.		56591.
	009 Medical Reimbursement		82611.		82611.
	011 Festival Advance		0.		0.
	028 Grade Pay		8289648.		8289648.
	TOTAL OBJECT #11		182714739.		182714739.
2	# 12 Wages				
3	# 21 Travel Allowance				
	001 Travel Allowance(On Tour)		122673.		122673.
	TOTAL OBJECT #21		122673.		122673.
4	# 22 Office Expences				
	001 Service postage & telegrams		1500.		0.
	002 Telephone Charges		0.		0.
	005 Electricity & Water charges		1806768.		1806768.
	006 Dress		0.		0.
	007 Stationary & Forms		5000.		0.
	TOTAL OBJECT #22		1813268.		1806768.
5	# 34 Material & Supplies				
	001 Purchase of Material		7000.		6998.
	006 Consumables		8000.		7982.
	009 Others		7000.		6999.
	TOTAL OBJECT # 34		22000.		21979.
6	# C 53				
	Payment Dicretal Amount				
	TOTAL				
	Total Segment 0101				
	Total Scheme 0798				
	Total Minor 103				
	Total Major 2202				
	Total Section 1				
	Total Demand 44				
	Total Segment (0101)		18,46,72,680.		18,46,66,159.

अध्याय–13 (मैन्युअल–12)
अनुदान / राज्य सहायता कायक्रमों के
क्रियान्वयन की रीति

Chapter – 13 (Manual – 12)
The Manner of Execution of Subsidy
Programmes

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएं।
लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

13.1. Please provide the information as per the following format:
List of beneficiaries in the format given below

नोट— विभाग में प्रत्यक्ष रूप से रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों का कोई प्रावधान नहीं है तथापि

1. मध्यप्रदेश शासन ने छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा है।
2. अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकों/स्टेशनरी प्रदाय करने का प्रावधान है।

उपरोक्त बिंदुओं की जानकारी प्रारूप में दी जाए।

- कार्यक्रम का नाम
- प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकरण में से एक चुनें)
- उद्देश्य
- लक्ष्य (विगत वर्ष में)
- पात्रता
- पात्रता का आधार
- पूर्वापेक्षाएं
- प्राप्त करने की प्रक्रिया
- रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकरण दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा
- आवेदन शुल्क
- आवेदन पत्र का प्रारूप
- संलग्नकों की सूची
- संलग्नकों का प्रारूप
- प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	विविधता	पात्रता का आधार	निवास			
Serial Number/ Code	Benefi- ciary Name	Amount of subsidy	Parent/ Guardi- ans	Criteria of selection	District	City	Town/ Village	House No.

नोट— इस महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की सबसीडी का कोई प्रावधान नहीं है अतः प्रारूप में जानकारी निरंक है।

अध्याय – 14 (मैन्युअल–13)
रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के
प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

Chapter – 14 (Manual – 13)
Particulars of Recipients of Concessions,
Permits or Authorization Granted by It

14.1 महाविद्यालयों में सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग, विकलांग या अन्य विद्यार्थियों एवं छात्र/छात्राओं के लिए यदि कोई छूट, रियायत आदि की योजना हो तो उसका उल्लेख निम्न प्रारूप में किया जाए।

14.1. Please provide the information as per the following format:

नोट— विभाग में प्रत्यक्ष रूप से रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों का कोई प्रावधान नहीं है तथापि

1. मध्यप्रदेश शासन ने छात्राओं को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा है।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकों/स्टेशनरी प्रदाय करने का प्रावधान है।

छात्रवृत्ति फार्म के साथ छात्रों द्वारा संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची

1. मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
2. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
3. स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
4. रसीद की सत्यापित छायाप्रति।
5. हायर सेकेण्डरी (10+2) से अध्ययनरत कक्षा/पाठ्यक्रम तक की सभी परीक्षाओं की अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रतियां।
6. गैप होने की स्थिति में गैप प्रमाण पत्र।

छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों का शासन द्वारा संचालित छात्रवृत्ति वेब पोर्टल पर आवेदन करना होता है।

<http://scholarshipportal.mp.nic.in>

अन्य जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के ईप्रवेश पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

<http://epravesh.nic.in>

अध्याय – 15 (मैन्युअल–14)
कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक / नियम

Chapter – 15 (Manual – 14)
Norms set for the discharge of its functions

15.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों के संपादन हेतु प्रयोग किए जाने वाले मानक/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध करायें

15.1 Please provide the details of the Norms/ Standards set by the department for execution of various activities/ programmes

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रमुख गतिविधि महाविद्यालयों में उचित गुणवत्ता के साथ शैक्षणिक कार्य उपलब्ध कराना है जिसके लिए विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा अकादमिक केलेण्डर बनाया जाता है। अकादमिक केलेण्डर में शैक्षणिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है। इस अकादमिक केलेण्डर के अनुसार शैक्षणिक सत्र में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

प्रशासनिक कार्यों के लिए शासन में प्रचलित सामान्य नियमों/अनुदेशों का पालन किया जाता है यथा मध्यप्रदेश सिविल (आचरण) नियम, 1965 म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनु.जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958, मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम वित्तीय संहित भाग-1 और भाग-2 आदि।

इसके अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा यदि कार्य संपादन के लिए कोई अन्य मानक या नियम बनाए गए हों तो उसका विवरण दिया जाए।

- स्वशासी परीक्षा संचालन नियम 2001
- स्वशासी वित्तीय संहिता 2001
- जनभागीदारी समिति अधिनियम 1996
- जनभागीदारी समिति उपनियम 2002
- जनभागीदारी समिति वित्तीय संहिता 2002
- प्राचार्य द्वारा समय समय पर जारी किए गए परिपत्र/अनुदेश/निर्देश

अध्याय – 16 (मैन्युअल–15)
इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

Chapter – 16 (Manual – 15)
Information Available in the Electronic Form

16.1 महाविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो

16.1 Please provide the details of the information related to the various schemes which are available in the electronic format.

महाविद्यालय से संबंधित जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध है।

Website: <http://www.mphighereducation.nic.in/3301>

<http://www.sciencecollegejabalpur.org>

अध्याय – 17 (मैन्युअल–16)
सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध
सुविधाओं का विवरण

Chapter – 17 (Manual – 16)
Particulars of Facilities Available to Public for
Obtaining Information

17.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण

17.1. Means, methods or facilitation available to the public which are adopted by the department for dissemination of information. Like

जैसे :-

- महाविद्यालय की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकती है।
- महाविद्यालय की विवरणिका के प्रति वर्ष प्रकाशित होती है जिसके माध्यम जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- समय—समय पर विशेष सूचनाओं को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है।
- महाविद्यालय के दूरभाष पर सामान्य सूचना दी जाती है।
- महाविद्यालय में सूचना पटल पर सूचनाओं का प्रकाशन किया जाता है।
- सभी दृश्य श्रव्य माध्यमों से महाविद्यालय की समस्त प्रकाशनीय गतिविधियों को प्रचारित/प्रसारित किया जाता है।
- महाविद्यालय में अध्ययन छात्र/छात्राएं और शिक्षक महाविद्यालय की सूचनाओं को अपने संपर्कों के माध्यम प्रसारित करते हैं। वे संस्था के संदेशवाहक दूत हैं।

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण

- अखबारों के द्वारा— आवश्यक जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है।
- सूचना पटल— समस्त आवश्यक जानकारी सूचना पटल पर लगाई जाती है।
- अभिलेखों का निरीक्षण— संचालनालय स्तर से गठित टीम द्वारा महाविद्यालयों का निरीक्षण कार्य कराया जाता है।
- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था— छायाप्रति के द्वारा एवं वेबसाइट के माध्यम से
- उपलब्ध विभागीय मैन्युअल

17.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

17.2 About getting information

- महाविद्यालय की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा,
- शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
- चाही गई जानकारी निर्धारित समय सीमा में दी जाएगी, बशर्ते कि जानकारी प्रतिबंधित गोपनीय स्वरूप की न हो अथवा न्यायालय में लंबित प्रकरण में संबंधित न हो।

आवेदन पत्र

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय विज्ञान महाविद्यालय

जबलपुर, मध्यप्रदेश

विषय:— जानकारी प्राप्त करने बावत्।

आवेदक का नाम—

.....

पिता/पति का नाम—

.....

पता कार्यालय एवं निवास—

.....

फोन— कार्यालय—

निवास—

फैक्स
ई—मेल —

जानकारी का विवरण जो आवेदक द्वारा चाही गई है—

.....
.....
.....

शुल्क जमा करने का विवरण— रु रसीद क. दिनांक

दिनांक रु हस्ताक्षर—

नाम—

कार्यालय प्रक्रिया का पालन

- शुल्क— निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।
- सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाए कुछ टिप्प आवेदन पत्र के उपरोक्त भरे हुए प्रारूप में जानकारी दी गई है।
- सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया— कंडिका 8.1 के अनुसार।

अध्याय—18 (मैन्युअल—17)
अन्य उपयोगी जानकारियां

Chapter – 18 (Manual—17)
Other Useful Information

18.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

18.1 Frequently Asked Questions and their Answers by Public Authority

1. महाविद्यालय की शुल्क संरचना
2. महाविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का व्यौरा
3. महाविद्यालय में उपलब्ध स्थान और लागू आरक्षण व्यवस्था
4. महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया छात्र अधिकार पत्र।

छात्र अधिकार

छात्रों के प्रति संस्था के उत्तरदायित्व

- संस्था के लक्ष्य और उद्देश्यों को विधिवत् एवं स्पष्ट रूप से सभी छात्र/छात्राओं में प्रसारित करना।
- अध्ययन – अध्यापन कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन।
- छात्र/छात्राओं की सतत प्रगति हेतु सुनियोजित पर्यवेक्षण की सुविचारित योजना लागू करना।
- छात्र/छात्राओं के मूल्यांकन की विधि एवं पद्धति की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को निश्चित करना।
- शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क संरचना, शुल्क वापसी, वित्तीय सहायता तथा छात्र सहायक।
- सेवाओं संबंधी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना।
- छात्र/छात्राओं में मूल्य निरूपण, सामाजिक उत्तरदायित्वों तथा अच्छी नागरिकता के गुणों का संवर्धन करना।

संस्था के प्रति छात्रों के उत्तरदायित्व

- संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का सम्मान करना तथा उनके प्रतिपालन हेतु संस्थागत गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित कर लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक बनना।
- संस्था के शैक्षणिक कार्यक्रमों, प्रवेश नीति, नियमों तथा अधिनियमों का स्पष्ट बोध होना।
- संस्था के अध्ययन–अध्यापन कौशल तथा मूल्यांकन पद्धति से अवगत होना।
- संस्था की समय सारिणी,, नियमों तथा अधिनियमों का पालन करना। कक्षाओं में 75 प्रतिशत परिस्थिति की अनिवार्यता के प्रति सजग रहना।
- शिक्षण सामग्री का नियमित एवं गहन अध्ययन करना।
- संस्था में उपलब्ध अध्ययन के संसाधन एवं अन्य सहायक सेवाओं का इष्टतम उपयोग करना।
- सत्र आंतरिक मूल्यांकन तथा सत्रांत परीक्षा के लिए तैयार रहना।
- संस्था की उन्नति के लिए प्रतिपुष्टि देना।
- जीवन पर्यन्त अध्ययनरत रहने के लिए सक्षम तथा विश्वास विकसित करना।
- संस्था की योग्य भूतपूर्व छात्र/छात्रा के रूप में अपनी पहचान बनाना।
- संस्था के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रति आदर का भाव रखना एवं अपने आचरण तथा यवहार से उसे प्रदर्शित करना।
- सभी धर्मों तथा समाज के सभी घटकों के प्रति सम्भाव रखना।
- राष्ट्रीय पर्व हमें राष्ट्र के प्रति उन्नत भावनाओं का स्मरण कराते हैं। महाविद्यालय में आकर ध्वज राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है,, इस बात का छात्र/छात्रां विशेष ध्यान रखें।

18.2 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में

18.2 With relation to training imparted to public by Public Authority

महाविद्यालय द्वारा सूचना के अधिकार का प्रशिक्षण अपने अधीनस्थ शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों को दिया जाएगा। सामान्य जनता को प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा नहीं की जा रही है।

नोट— उच्च शिक्षा विभाग में जनता के लिए किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण संचालित किए जाने का प्रावधान नहीं है।

18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण—पत्र, अनापत्ति प्रमाण—पत्र आदि के संबंध में मैन्युअल 13 में न सम्मिलित हों

18.3 With relation to Certificate, No objection certificate etc issued by the Public Authority not included in Manual - 13

नोट— जानकारी कंडिका—13 अनुसार है।

- प्रमाण—पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण
- प्रमाण—पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता
- आवेदन करने के लिए कहां/किससे संपर्क करें
- आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)
- आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)
- संलग्नकों की सूची
- संलग्नकों का प्रारूप
- आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं)
- आवेदन की सारी प्राथमिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए निर्धारित समय अवधि
- प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो)
- नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो)

महाविद्यालय द्वारा निम्न प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं –

1. छात्र/छात्राओं का स्थानांतरण प्रमाणपत्र
2. छात्र/छात्राओं को चरित्र प्रमाणपत्र
3. प्रोविजनल डिग्री प्रमाणपत्र
4. विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को अर्हता प्रमाणपत्र सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए छात्र/छात्राओं को सादे कागज पर प्राचार्य के नाम एक आवेदन देना होता है।
5. आवेदन पत्र पर प्राचार्य के हस्ताक्षर प्राप्त कर इस आवेदन को महाविद्यालय के कार्यालय की संबंधित शाखा में जमा किया जाता है और इस शाखा से न्यूनतम 24 घंटे एवं अधिकतम 3 दिवस के अन्दर आवश्यक प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाते हैं।
6. छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र के साथ महाविद्यालय की विभिन्न इकाईयों से अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है जैसे पुस्तकालय, एनसीसी, एनएसएस, लेखा शाखा संबंधित विभाग आदि।

(स्थानांतरण/चरित्र प्रमाण पत्र/प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रारूप आवेदन)

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय
जबलपुर – मध्यप्रदेश

विषय : स्थानांतरण/चरित्र प्रमाणपत्र/प्रोविजनल डिग्री पत्र प्रदान करने संबंधी।

महोदय,

मैं, आपके महाविद्यालय में सत्र से तक
कक्षा खण्ड का छात्र रहा / छात्रा रही हूँ। अब मैं इस महाविद्यालय में अपना अध्ययन
पूर्ण हो जाने के कारण/पारिवारिक कारणों से/अभिभावकों का स्थानांतरण हो जाने के कारण से स्थानांतरण प्रमाण
पत्र लेना चाहता/चाहती हूँ।

इसके लिए मैंने निर्धारित शुल्क रु रसीद क्रमांक दिनांक के द्वारा
जमा कर दी है।

कृपया आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करना चाहेंगे।

धन्यवाद,

आवेदक विद्यार्थी

दिनांक :/...../.....

हस्ताक्षर :

नाम:

पता :

दूरभाष:

.....
.....

18.4 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में

18.4 With relation to registration process

महाविद्यालयों में प्रवेश की एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके लिए शासन द्वारा मार्ग दर्शक नियम बनाए गए हैं, अन्य किसी भी प्रकार के पंजीयन की कार्यवाही महाविद्यालय में नहीं होती है। प्रथम बार विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले छात्र/छात्राओं का नामांकनांक प्रचलित व्यवस्था में किया जाता है।

18.5 लोक प्राधिकरण आदि द्वारा टैक्स लेने के संबंध में

18.5 With relation to collection of tax by Public Authority (Municipal Corporation, Trade Tax, Entertainment Tax etc)

नोट— विभाग से संबंधित नहीं है।

टैक्स का नाम व विवरण — स्त्रोत पर आयकर (आयकर के सामान्य प्रचलित नियमानुसार)

टैक्स लेने का उद्देश्य — शासन द्वारा निर्धारित कर का भुगतान

टैक्स निर्धारण करने के लिए प्रचलित नियमों में निर्धारित आयकर राशि की वेतन से कठौत्री बड़े डिफाल्टर्स की सूची — कोई डिफॉल्टर नहीं

- प्राचार्य द्वारा आहरण संवितरण अधिकारी होने का कारण अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले समस्त शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से श्रोत पर आयकर काटा जाता है, इसके लिए आयकर संबंधित नियम व व्यवस्थाओं का पालन किया जाता है।
- आयकर, वेतन के व उन सभी भुगतानों पर काटा जाता है जो आहरण संवितरण अधिकारी के माध्यम से किया जाता है।
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू किये गये प्रोफेशलन टेक्स (वृत्ति) को भी वेतन से ही काटा जाता है।
- महाविद्यालय द्वारा क्रय की गई प्रत्येक सामग्री और उपयोग में लाई गई प्रत्येक सेवा पर शासन द्वारा निर्धारित सेवा कर (सर्विस टेक्स) नियमानुसार दिया जाता है, इसके लिए निर्धारित प्रचलित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

18.6 विद्युत एवं जलप्रदाय हेतु नवीन कनेक्शन जारी करने एवं इनके अस्थायी/स्थायी पृथक्करण के संबंध में

18.6 With relation to issuing new connection electricity / water supply, temporary and permanent disconnection etc.

उपर्युक्त व्यवस्था स्थानीय निकायों जैसे कि नगर निगम / विद्युत वितरण कंपनी से संबंधित है। विभाग से संबंधित नहीं है।

समाप्त